No. Chandigarh Division 0/32/99/Dated 22-12-98

Regd. No. PB/CH-03

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1999
(28 फाल्गुन, 1920 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) (केवल हिन्दी में) ..	41—91
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का० आ० 51/ह० अ० 11/1994/धा० 7 तथा 8/99, दिनांक 19 मार्च, 1999, अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित सूरजगढ़ के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे। ..	823(1)—823(2)

Price : Re. 1.00

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
	2. अधिसूचना संख्या का० आ० 52/ह० अ० 11/1994/धा० 7 तथा 8/99, दिनांक 19 मार्च, 1999, अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित सुखपुरा के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	.. 823(3)—823(4)
	3. अधिसूचना संख्या का० आ० 53/ह० अ० 11/1994/धा० 7 तथा 8/99, दिनांक 19 मार्च, 1999, अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित डोहाना खेड़ा के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	.. 823(5)—823(6)
	4. अधिसूचना संख्या का० आ० 54/ख० रि० नि०/1960/नि० 59/99, दिनांक 19 मार्च, 1999, खनन पट्टा दिये जाने के लिये 26 अप्रैल, 1999 की तिथि विनिर्दिष्ट करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	.. 823(7)—823(10)
भाग–IV	शुद्धि पर्चियां पुन० प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

विधायी विभाग

दिनांक 19 मार्च, 1999

दि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटि रिफॉर्म ऐक्ट, 1997, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 9 मार्च, 1999, के प्राधिकार के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राज भाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रमाणिक पाठ समझा जायेगा :—

1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997

बिजली उद्योग को पुन: निर्मित करने के लिये, बिजली के उत्पादन, प्रसारण वितरण तथा सप्लाई की वैज्ञानिक व्यवस्था करने के लिये, बिजली उद्योग में प्राईवेट सैक्टर उद्यमियों के भाग लेने के लिये रास्ते उपलब्ध करवाने तथा बिजली उद्योग में दक्ष, आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से विकास तथा प्रबन्ध के लिये तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के सहायक उपाय करने के लिये बिजली विनियामक आयोग के गठन का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग- I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997, कहा जा सकता है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे ।

परिभाषाएं ।

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रसारण क्षेत्र" से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर किसी प्रसारण अनुज्ञप्ति का धारक, ऊर्जा प्रसारित करने के लिये अनुज्ञप्ति द्वारा उस समय के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के भाग VI के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति ;

(घ) "अनुज्ञप्तिधारी" या "अनुज्ञप्ति धारक" से अभिप्राय है, ऊर्जा प्रसारण या सप्लाई करने के लिए इस अधिनियम के भाग VI के अधीन अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति, इसमें ट्रांस्को शामिल है ;

(ङ) "सदस्य" या "सदस्यों" से अभिप्राय है, आयोग के सदस्य तथा इसमें आयोग अध्यक्ष शामिल होगा ;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विहित ;

(छ) "लोक सेवा आयोग" से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसरण में राज्य के लिये स्थापित किया गया लोक सेवा आयोग ;

(ज) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियम ;

(झ) "नियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम ;

(ञ) "चयन समिति" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित चयन समिति ;

(ट) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, राज्य की सरकार ;

(ड) "सप्लाई अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, धारा 15 की उप-धारा (1) (ख) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति ;

(ढ) "ट्रांस्को" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विद्युत प्रसारण उपक्रम के प्रयोजन के लिये, कम्पनी, अधिनियम, 1956, के अधीन एक प्रसारण कम्पनी के रूप में निगमित हरियाणा का ट्रांस्को निगम;

(ण) "प्रसारण-अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, धारा 15 की उप-धारा (1) (क) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति;

(त) "बिजली के सम्बन्ध में प्रसारण" से अभिप्राय है, किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी पद्धति के माध्यम से बिजली का वाहन या प्रसारण इसमें सपूर्णतया या मुख्यता: अतिरिक्त उच्च वोल्टेज तथा अतिरिक्त उच्च विद्युतगामी बल लाइनें तथा विद्युत संयंत्र शामिल हैं तथा किसी उत्पादन स्टेशन से किसी उप-स्टेशन को, एक उत्पादन -स्टेशन से दूसरे उत्पादन-स्टेशन को या एक उप-स्टेशन से दूसरे को या अन्यथा एक स्थान से दूसरे स्थान को बिजली रूपांतरित करने के लिये तथा पहुचाने के लिये तथा/ या अन्तरित करने के लिये प्रयोग की जाती है ;

(थ) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं परन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 54), में परिभाषित किये गये हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं ;

(द) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो प्रयुक्त किये गये हैं परन्तु जो न तो इस अधिनियम में अथवा न ही विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 54), में परिभाषित किये गये हैं, परन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 अधिनियम संख्या IX) में परिभाषित किये गये हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं ।

भाग-II

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजननों के लिये, अधिनियम के लागू होने से तीन मास के भीतर, राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, एक आयोग स्थापित करेगी जो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नाम से जाना जायेगा जो चल तथा अचल संपत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा के साथ एक निगमित निकाय होगा, तथा उक्त नाम से वाद लाने के लिये हकदार होगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा । आयोग की स्थापना तथा गठन ।

(2) आयोग में, इस अधिनियम की धारा 4 में यथा उपबन्धित रीति में प्रयोजन के लिये गठित, चयन समिति द्वारा चुने गये व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन सदस्य, होंगे ।

(3) धारा 6 की उपधारा (1) के परन्तुक के निबन्धनों में, तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रथम बार के लिये आयोग के किसी सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, आयोग का प्रथम अध्यक्ष होगा तथा तत्पश्चात् सभी समयों के लिये आयोग का वरिष्ठतम सदस्य

अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ऐसी वरिष्ठता सदस्यों की नियुक्ति की तिथि से गिनी जायेगी। यदि, एक ही समय में दो से अधिक व्यक्तियों का चयन किया जाता है, तो उनमें से वरिष्ठता राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति करते समय अवधारित की जायगी ।

(4) जब, आयोग का अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो आयोग का आगामी वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन उस दिन तक करेगा जिसको अध्यक्ष अपने कृत्यों का प्रभार सम्भाल लेता है।

(5) आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस लिये अविधिमान्य नहीं होंगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

सदस्यों का चुनाव करने के लिये चयन समिति का गठन ।

4. (1) राज्य सरकार सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चयन के लिये यथापेक्षित जितनी बार करना हो, तत्परता से एक चयन समिति का गठन करेगी ।

(2) चयन समिति में पांच सदस्य शामिल होंगे :—

(i) किसी हरियाणा विश्वविद्यालय का कुलपति .. अध्यक्ष

(ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य .. सदस्य

(iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य .. सदस्य

(iv) हरियाणा सरकार वित्त विभाग का कार्यभारी सचिव .. सदस्य

(v) हरियाणा सरकार बिजली विभाग का कार्यभारी सचिव .. सदस्य

हरियाणा सरकार, बिजली विभाग, का कार्यभारी सचिव, चयन समिति के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा ।

(3) चयन समिति, तत्परता से कार्य करेगी तथा सामान्यत: सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य को पदावधि समाप्त होने पर दो मास की अवधि क भीतर नए सदस्य के प्रभावकारी प्रभार ग्रहण करने के लिये, समय पर अंतिम चयन तथा नियुक्ति करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा चयन को अंतिम रूप देने के लिये समर्थ बनायेगी ।

(4) चयन समिति आयोग में प्रत्येक रिक्ति के लिये दो उचित व्यक्तियों का चयन करेगी जिनके पास ऐसी योग्यता तथा अनुभव होगा जो अधिनियम में उपबन्धित है तथा चयन समिति अल्प सूची में दिये गये व्यक्तियों के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगी राज्य सरकार, चयन–समिति द्वारा, अल्पसूची में दिए गए दो सदस्यों में से एक को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी ।

(5) चयन समिति के सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे ।

(6) सदस्यों का चयन तथा नियुक्ति तथा सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित करने का ढंग तथा रीति वही होगी जो नियमों द्वारा समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा, विहित की जाये ।

आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की शर्तें ।

5. (1) आयोग के सदस्य योग्यता, ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे जिनको इन्जीनियरी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त लेखाकर्म, विधि या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं को निपटाने का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो, या जिन्होंने इनमें अपनी क्षमता प्रदर्शित की हो तथा यह और कि सभी समयों पर --

(क) कम से कम एक सदस्य विद्युत के उत्पादन, प्रसारण या वितरण के पर्याप्त अनुभव सहित एक विद्युत इंजीनियर होगा ;

(ख) कम से कम एक सदस्य अन्य विद्याओं अर्थात् अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त लेखाकर्म, विधि या प्रशासन में से किसी एक में योग्यतायें तथा पर्याप्त अनुभव रखता हो ; तथा

(ग) तीसरा सदस्य ऊपर वर्णित विद्याओं में से किसी एक में योग्यता तथा पर्याप्त अनुभव रखता हो ।

सभी समयों पर सदस्यों की नियुक्ति तथा चयन, उपरोक्त योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार कठोरता से की जायेगी ।

(2) कोई भी व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्ति किये जाने के लिये अयोग्य होगा यदि वह संसद या किसी राज्य विधानमण्डल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है या किसी राजनैतिक पार्टी में कोई पदधारी है ।

(3) व्यक्ति, जिन पर आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये विचार किया जाता है, चयन समिति के संयोजक को निम्नलिखित के बारे सूचित करेगा --

(क) किसी कार्यालय नियोजन या सलाहकार, करार या व्यवस्था जो उसके अपने नाम पर है या किसी फर्म, व्यक्तियों के निकाय या निगमित निकाय में है या किसी रिश्तेदार के नामों में है, जिनका निम्नलिखित में से कोई कारबार चल रहा है :--

(i) विद्युत का उत्पादन, प्रसारण, वितरण या सप्लाई ;

(ii) विद्युत के उत्पादन के लिये निर्माण, विक्रय या सप्लाई ;

(iii) विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, सप्लाई या प्रयोग के लिये मशीनरी, संयंत्र, उपकरण, उपस्कर फिटिंग्ज के निर्माण, विक्रय, पट्टे, भाटक या अन्यथा सप्लाई ; तथा

(i) उपरोक्त उप–खण्ड (i), (ii) (iii), तथा में निर्दिष्ट कारबारों में से कोई व्यवसायिक सेवायें करवाने वाला कोई अस्तित्व ;

(ख) ऐसे अन्य ब्यौरे तथा सूचना जो नियमों द्वारा विहित किये जायें;

व्याख्या :—इस धारा के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित पद का वही अर्थ होगा जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 6 के अधीन परिभाषित है।

(4) व्यक्तियों से प्राप्त ब्यौरे, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चयन तथा सिफारिशों के समय, चयन, समिति के विचारण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(5) आयोग का प्रत्येक सदस्य, सदस्य के रूप में पद का प्रभार ग्रहण करने से पूर्व या प्रभार–ग्रहण करने के बाद ऐसे समय के भीतर तीन मास से अधिक न हो, जो चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात किया जाये, अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में, इस धारा की उपधारा (3) में वर्णित कारबार में अपने हित से स्वयं को वंचित रखेगा ।

(6) यदि, आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति, राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर निगम या सरकारी निकाय के अधीन कोई पदधारी है, तो वह उस सेवा से अपना त्यागपत्र देगा या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त करेगा तथा आयोग का सदस्य न रहने के बाद किसी भी समय सरकार या किसी सरकारी निगम या निकाय की सेवा में पुन: नियुक्ति का प्रयत्न नहीं करेगा ।

(7) जब तक कोई व्यक्ति सदस्य या पद धारण करता है तथा किसी कारण से, चाहे जो भी हो, उसका सदस्य न रहने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिये, वह कोई पद, नियोजन या सलाहकार प्रबन्ध या इस धारा की उपधारा (3) में वर्णित कारबार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्जित नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा या बनाये नहीं रखेगा, और यदि अनजाने में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन द्वारा ऐसा कोई हित अर्जित करता है, तो वह ऐसा हित अर्जित करने के तीन मास के भीतर स्वयं को ऐसे हित से वंचित कर लेगा ।

(8) किसी व्यक्ति को आयोग के सदस्य के रूप में सिफारिश करने से पहले, चयन समिति स्वयं को संतुष्ट करेगी कि उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट अथवा अन्यथा व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसका ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो ।

सदस्यों की पदावधि, सेवा शर्तें, इत्यादि ।

6. (1) प्रत्येक सदस्य, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तिथि से, या पैंसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा वह अपनी नियुक्ति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय पुन: नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रथम तीन सदस्य, क्रमशः तीन वर्ष, चार वर्ष तथा पांच वर्ष की परिवर्तित अवधियों के लिये नियुक्त किये जायेंगे ताकि एक ही समय में सभी सदस्यों की सेवा निवृत्ति से बचा जा सके तथा आयोग के कृत्य-करण में निरन्तरता को सुनिश्चित किया जा सके :

परन्तु यह और कि कोई भी सदस्य बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ताकि सदस्य के रूप उसकी कम से कम समयावधि तीन वर्ष की हो ।

(2) आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, ऐसा पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते प्राप्त किकरेंगे जो अनुसूची I में उपबन्धित हैं तथा ऐसी शर्तों द्वारा शासित किये जायेंगे जो नियमों के अधीन समय-समय पर संबन्धित की जायें।

परन्तु यह कि शर्तें नियुक्ति की समयावधि के दौरान उसके अहित कम रूप में फेर-फारित नहीं की जायेंगी।

(3) आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अपने पद पर प्रवेश से पहले, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के सामने, जो विहित किया जाये, पद तथा गोपनीयता की शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

सदस्यों को हटाया जाना।

7. (1) राज्य सरकार, उप-धारा (2) के अनुसार आयोग के किसी भी सदस्य को पद से हटा सकती है :—

(क) जो एक दिवालिया न्याय निर्णीत किया या हो; या

(ख) जो नैतिक अधमता वाले किस अपराध का दोष सिद्ध पाया गया हो ; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो ; या

(घ) जिसने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, कम से कम छह मास की किसी अवधि के लिये कार्य करने से इन्कार किया हो या करने में असफल रहा हो; या

(ङ) जिसने सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की शर्तों में से किसी को पूरा करने से छोड़ दिया हो ; या

(च) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिये हो जो उसके सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों ; या

(छ) जिसने ऐसी रीति में आचरण किया हो या अपनी हैसियत या इस प्रकार रूपयोग किया हो जो उसके पद पर बने रहने से लोकहित में या अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजन के प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(2) सिवाय इसके कि जहां से कोई सदस्य आरोप को, लिखित रूप से, स्वीकार कर लेता है, कोई भी सदस्य, उप-धारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), तथा (छ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर, अपने पद से हटाया नहीं जायेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यथा सिफारिश किये गये पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश ने कोई जांच पड़ताल न कर ली हो तथा राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट न दे दी हो।

(3) राज्यपाल तथा राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन अन्तिम रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करेगा तथा राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर दो मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध सदस्य को अपना निश्चय सूचित करेगी।

(4) कोई सदस्य, जिसे हटाया गया है, आयोग या राज्य सरकार में या किसी राज्य सरकार उपक्रमों में किसी सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य हैसियत में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) यदि, इस धारा के अधीन हटाया गया सदस्य आयोग का अध्यक्ष है, तो वह आयोग का अध्यक्ष नहीं रहेगा।

(6) सदस्य के हटाए जाने द्वारा हुई रिक्ति, उसी रीति में भरी जाएगी जो आयोग के किसी सदस्य की नियुक्ति या अध्यक्ष के पदाभिधान के लिए उपबन्धित की गई है।

आयोग के सचिव कर्मचारिवन्द तथा सलाहकारों की नियुक्ति।

8. (1) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, किसी व्यक्ति को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, अपेक्षित अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या स्वरूप तथा प्रवर्ग अवधारित करेगा।

(3) सदस्यों के भुगतान-योग्य वेतन तथा भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, इसमें आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को तथा के संबंध में भुगतान-योग्य वेतन भत्ते तथा पेंशन शामिल हैं, राज्य की समेकित निधि से प्रभारित किए जाएंगे।

(4) सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन की रीति तथा उनकी सेवा शर्तें तथा निबन्धन आयोग द्वारा विनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(5) आयोग, उसके द्वारा विनिश्चित शर्तों तथा निबन्धनों पर, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए अपेक्षित सलाहकारों को, समय समय पर, नियुक्त करने के लिए हकदार होगा।

भाग III

आयोग की कार्यवाहियां शक्तियां तथा कृत्य

आयोग की कार्यवाहियां।

9. (1) आयोग का मुख्यालय पंचकूला, हरियाणा, में होगा परन्तु आयोग, अपनी कार्यवाहियां, परामर्श तथा सुनवाईयां राज्य में किसी भी स्थान पर संचालित करने के लिए हकदार होगा।

(2) आयोग को अपनी कार्यवाहियों के संचालन तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियम बनाने का विशेषाधिकार होगा तथा इस प्रकार बनाए गए सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) आयोग के सदस्यों में किसी मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी और आयोग की राय बहुमत के विचारों के निबन्धन में अभिव्यक्त होगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अध्यक्ष का कोई निर्णायक अथवा दूसरा मत नहीं होगा।

(4) आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति दो होगी, परन्तु आयोग की बैठक के लिए आयोग द्वारा लिए गए किसी पूर्व निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिए या किसी मामले के विचार के लिए जो प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में तथा विरुद्ध मतों की समानता के कारण निर्णीत नहीं किया जा सका था, बैठक के लिए गणपूर्ति व्यक्तिगत रुप में उपस्थित सभी सदस्यों की होगी।

(5) आयोग का अध्यक्ष, ऐसे समय पर, तथा ऐसे स्थान पर, जिसे अध्यक्ष निर्दिष्ट करे, सचिव को आयोग का अधिवेशन बुलाने के लिए निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग का कोई भी सदस्य, किसी भी समय पर, अन्य सदस्यों को लिखित रुप में नोटिस तथा एक प्रति सचिव को भेजकर आयोग के अधिवेशन के लिए अनुरोध कर सकता है। सभी अधिवेशनों का नोटिस सदस्यों को लिखित रुप में दिया जाएगा जब तक कि सभी सदस्य नोटिस का, लिखित रूप में, अधित्यजन न कर दें।

(6) आयोग, अतिशीर्ष मामले सदस्यों को पत्र के परिचालन द्वारा, विनिश्चत करने का हकदार होगा।

(7) आयोग के सभी निर्णय, निदेश तथा आदेश लिखित रूप में होंगे और कारणों द्वारा समर्थित होंगे। आयोग के निर्णय, निर्देश तथा आदेश किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपबन्ध होंगे और उसी की प्रतियां भी ऐसी रीति में जिसे आयोग विहित करे, उपलब्ध होंगी।

आयोग की शक्तियां।

10. (1) आयोग को, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, वाद का विचारण करते समय, इस अधिनियम के अधीन किसी पूछताछ या कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5), के अधीन किसी सिविल न्यायालय में यथा निहित है, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी की उपस्थिति को समनित करना तथा प्रवर्तित कराना तथा शपथ पर परीक्षण करना; या

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुतत की जा सकने वाली किसी भी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य का लिया जाना ;

(घ) किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेखों की अध्यपेक्षा;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन का जारी किया जाना;

(च) पक्षकारों की हाजिरी तथा गैरहाजिरी के परिणाम;

(छ) सुनवाई पर स्थगनों का दिया जाना; और

(ज) अपने निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों का पुनर्विलोकन।

(2) ....लुप्त किया गया..............

(3) आयोग को किसी भी व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ;

(क) उपर्युक्त क्षेत्रों तथा अन्य मामलों में अन्तर्वलित किसी उपक्रम का कार्यकरण जिसकी परीक्षा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग आवश्यक या सुसंगत समझता है, इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति की अभिरक्षा में या नियंत्रण में ऐसे बही खाते, लेखे तथा अन्य दस्तावेज जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट या वर्णित किया जाए, जो विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई या उपयोग से सम्बन्धित किसी मामले से सम्बद्ध, इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयोग के किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना और जांच किए जाने के लिए तथा रखे जाने के लिए अनुज्ञात करना; और

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित ऐसी सूचना या ऐसी अन्य सूचना जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी क्रियाकलाप के संबंध में उसके पास हो, इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को देना ।

(4) साक्षियों की उपस्थिति प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के क्षेत्र की सीमाएं होंगी।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान, आयोग के पास यह विश्वास करने के कोई आधार हैं कि किसी इकाई अथवा व्यक्ति जिसके संबंध में ऐसी जांच में प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हो, को या से सम्बन्धित कोई पुस्तकें, कागज पत्र या दस्तावेजें नष्ट, विकृत, परिवर्तित अयथार्थ रूप में पेश अथवा छिपाई जा रही है या की जा सकती है, तो यह, लिखित आदेश द्वारा, आयोग के किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी तथा जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), की धारा 240 तथा 240 क के अधीन निरीक्षण के लिए नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

(6) उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से, कम्पनियों या अनुज्ञप्तिधारियों सहित, बिजली उत्पादन, प्रसारण, विवरण तथा सप्लाई या उपयोग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित क्रियाकलापों, से संबंधित कोई सूचना, ऐसे व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति अथवा उपक्रम से संबंधित कोई सूचना समय-समय पर या जब भी अपेक्षित हो इसमें संगठन, कारबार, उत्पादन की लागत, संचालन आदि से सम्बन्धित ऐसी अन्य सूचना शामिल है, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए, विहित की जाए, मांग सकता है।

(7) अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग, ऐसे व्यक्तियों अथवा समूह जो आयोग के निर्णयों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं अथवा जिनके प्रभावित होने की संभावना है, की ऐसी सीमा तक जिसे आयोग समय-समय पर उचित समझे सलाह करने का हकदार होगा तथा सलाह करेगा।

(8) आयोग, किसी व्यक्ति से सूचना, ब्यौरे, पुस्तकें, लेखे तथा अन्य दस्तावेजें मंगाने के लिए तथा उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ जांच करने के लिए ऊपर वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हकदार होगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ऐसी जांच करने के लिए तथा उन्हें सूचना ब्यौरे तथा दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए आयोग को कहने के लिए हकदार होगी।

(9) सभी व्यक्ति जिन्हें नोटिस जारी किए जा सकते हैं, से सूचना, ब्यौरे, पुस्तकें, लेखें तथा अन्य दस्तावेजें, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन आयोग अपने कृत्यों के संबंध में सुसंगत समझता है अथवा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के निदेशों पर प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित हों, सम्यक रूप से, ईमानदारी से तथा प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत करने के लिए इस अधिनियम के अधीन

वैधानिक दायित्व होगा तथा कार्यवाही करेगा तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करने में किसी सफलता अथवा देरी के लिए दण्डनीय होगा।

(10) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की धारा 12 से 16 (दोनों शामिल हैं) तथा 18 तथा 19 में किसी बात के होते हुए भी, ऊर्जा के प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई के लिए, बिजली सप्लाई लाइनों, साधित्रों तथा उपकरणों को लगाने के लिए, आयोग, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अधीन लोगों को उर्जा के प्रसारण, वितरण या सप्लाई के कारबार में लगे हुए किसी अनुज्ञप्तिधारी या अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जिनका आयोग उपबन्ध करे, कोई शक्तियां प्रदान कर सकता है जैसी कि टैलीग्राफ लाईनों तथा स्तम्भ लगाने के संबंध में भारतीय टैलीग्राफ अधिनियम, 1885, के अधीन टैलीग्राफ प्राधिकारी धारण करता है।

आयोग के कृत्य।

11. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग अन्यों के साथ निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा :—

(क) राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई से संबंधित मामलों में सहायता करना तथा परामर्श देना;

(ख) अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यकरण को विनियमित करना तथा उनके कार्यकरण को कुशल, मितव्ययी तथा उचित रीति में उन्नत करना;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्तियां जारी करना तथा अनुज्ञप्तियों में शामिल की जाने वाली शर्तों का निर्धारण करना;

(घ) राज्य में बिजली के उपयोग में कार्यकुशलता मितव्ययता तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसमें तथा विशेष रूप में गुणवत्ता, निरन्तरता तथा सेवा विश्वासनीयता शामिल है तथा बिजली के लिए सभी युक्तियुक्त मांगों को समर्थ बनाना;

(ङ) सेवा की गुणवत्ता, टैरिफ तथा भुगतान योग्य प्रभारों को उपभोक्ता के हित को तथा इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि सप्लाई तथा वितरण को तब बनाए नहीं रखा जा सकता जब तक कि सप्लाई की गई विद्युत को प्रभार पर्याप्त रूप से उदगृहीत तथा सम्यक रूप से एकत्रित नहीं किए जाते, बिजली के क्रय, वितरण सप्लाई तथा उपयोग विनियमित करना;

(च) प्रतिस्पर्धा तथा प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी उत्तरीय शामिल उपभोक्ताओं से निष्कपट व्यवहार को सुनिश्चित करते समय, उन्नत करना;

(छ) बिजली के लिए तथा उसके उपयोग के लिए मांग पर आंकड़े तथा पूर्वानुमान एकत्रित करना तथा ऐसे आंकड़े तथा पूर्वानुमान को एकत्रित करने की अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना;

(ज) बिजली के उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई के उन्नयन के लिए अन्यों के साथ समन्वय में भावी योजनाओं तथा स्कीमें बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना ; और

(झ) राज्य में बिजली उद्योग के लिए समुचित आचरण संहिता तथा मानक नियत करना;

(ञ) परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां तथा राज्य में बिजली उद्योग से सम्बद्ध या सम्बन्धित सम्पत्तियों में हित विनियमित करना; तथा

(ट) सभी आनुषंगिक अथवा सहायक वस्तुओं का उत्तरदायित्व लेना।

(2) आयोग, सदैव ऐसे उद्देश्यों तथा प्रयोजनों से संगत कार्य करेगा जिनके लिए आयोग एक स्वतन्त्र वैधानिक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया है तथा आयोग के सभी कार्य, निर्णय तथा आदेश ऐसे उद्देश्य तथा प्रयोजन के अनुसरण में होंगे तथा आयोग उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

(3) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की धारा 52 के उपबन्धों अथवा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) (*ii*) तथा धारा 76 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग को, विहित किए जाने वाले विनियमनों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों के बीच उत्पन्न विवादों के निर्णय तथा सुलह के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने अथवा मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों को मनोनीत करने की शक्ति होगी तथा यह अनुज्ञप्तियां देने के लिए एक शर्त होगी।

भाग IV

राज्य सरकार की शक्तियां

12. (1) राज्य सरकार को, संपूर्ण आयोजना तथा समन्वय सहित, राज्य में बिजली से संबंधित मामलों पर, पालिसी निदेश जारी करने की शक्ति होगी इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए चाहे गए उद्देश्यों से संगत सभी पालिसी निदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे तथा तदनुसार उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों के बिजली सप्लाई के लिए शुल्क की संरचना के निर्धारण तक शामिल करके परन्तु सीमित नहीं, आयोग के कृत्यों तथा शक्तियों को पूरी तरह प्रभावित नहीं करेंगे अथवा हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। राज्य सरकार की सामान्य शक्तियां।

(2) यदि, आयोग तथा राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, कि क्या कोई प्रश्न पालिसी विषय है या नहीं अथवा क्या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोई पालिसी निदेश आयोग के कृत्यों के प्रयोग को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं अथवा हस्ताक्षप करते हैं अथवा नहीं तो उसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निर्दिष्ट

किया जाएगा तथा केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, इस उप-धारा के अधीन निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में प्राधिकरण की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकरण के एक अथवा अधिक सदस्य नियुक्त कर सकता है।

(3) राज्य सरकार, टैरिफ संरचना विनियमित तथा अनुमोदित करते समय, आयोग द्वारा आर्थिक सहायता समायोजित करने के अतिरिक्त व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा वर्गों की बिजली की सप्लाई के लिए अनुज्ञात की जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित पालिसी निदेश जारी करने का हकदार होगी परन्तु राज्य सरकार, दी गई आर्थिक सहायता की सीमा तक, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा प्रभावित ऐसे सम्बद्ध निकाय अथवा इकाई क्षतिपूर्ति के लिए राशि अंशदान करेगी। आयोग, राशियां तथा निबन्धन तथा शर्तें जिन पर ऐसी राशियों का सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है, अवधारित करेगा।

(4) राज्य सरकार, किसी प्रस्तावित विधायन अथवा किसी पालिसी निदेश से संबंधित नियमों के संबंध में आयोग से परामर्श करेगी तथा सभी ऐसे मामलों पर आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर सम्यक रूप से ध्यान देगी।

भाग V

ट्रान्सको

ट्रान्सको का गठन तथा कृत्य।

13. (1) अधिनियम के प्रारम्भ होने के साठ दिन के भीतर, राज्य सरकार, विद्युत उर्जा के उत्पादन, प्रसारण तथा सप्लाई के कारबार में लगने के मुख्य उद्देश्यों सहित, हरियाणा प्रसारण निगम, लिमिटिड (ट्रान्सको) के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956, के उपबन्धों के अधीन ट्रांसको निगमित करवाएगी।

(2) धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को शक्तियों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के निबन्धों में राज्य सरकार द्वारा स्थापित ट्रांसको प्रसारण से सम्बद्ध सभी आयोजन तथा समन्वयन, प्रसारण से सम्बद्ध संकर्मों का उत्तरदायित्व लेने का, उत्पादन कम्पनियों, राज्य सरकार, आयोग, क्षेत्रीय बिजली बोर्ड तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समन्वय से राज्य में बिजली की अपेक्षाएं अवधारित करने का, विद्युत प्रणाली के संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए, मूल कंपनी होगी।

(3) ट्रान्सको, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज प्रसारण प्रणाली का उत्तरदायित्व लेगी, प्रसारण प्रणाली के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, तथा एक कार्य कुशल रीति में शक्ति प्रणाली संचालित करेगी।

(4) ट्रान्सको इस धारा में विनिर्दिष्ट कृत्यों तथा ऐसे अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा, उसे दी जाने वाली अनुज्ञप्ति द्वारा उसे सौंपे जाएं, का उत्तरदायित्व लेगी ।

(5) इस अधिनियम की धारा (15) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ट्रांसको को अनुज्ञप्ति दिए जाने पर ट्रांसको हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की ऐसी शक्तियों, तथा कृत्यों का पालन करेगी जिन्हें आयोग अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट करे, इनमें वे भी शामिल हैं, जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, अथवा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए हैं तथा इस प्रकार सौंपी गई शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का उत्तरदायित्व लेने तथा सम्यक् निर्वहन के लिए ट्रांसको को यह वैधानिक बाध्यता होगी।

(6) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन रहते हुए तथा ट्रांसको के सम्पूर्ण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य में बहुत सी सहायक तथा सम्बद्ध प्रसारण कंपनियां स्थापित की जा सकती हैं, तथा आयोग, ट्रांसको के परामर्श से ऐसी प्रसारण कंपनियों को अधिनियम के निबन्धनों के अधीन अनुज्ञप्ति दे सकता है।

भाग VI

प्रसारण तथा सप्लाई का अनुज्ञापन

14. (1) अनुज्ञप्ति द्वारा अथवा इस अधिनियम के अधीन छूट के फलस्वरूप प्राधिकृत अथवा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के अधीन ऐसा करने के लिये किसी अन्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत या छूट प्राप्त कोई व्यक्ति, राज्य में निम्नलिखित के कारबार में नहीं लगेगा :— अनुज्ञापन ।

(क) विद्युत प्रसारण ; या

(ख) विद्युत सप्लाई ।

(2) उप-धारा (1) में यथावर्णित जहां कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न हो जाता है कि क्या कोई व्यक्ति विद्युत के प्रसारण या सप्लाई करने के कारबार में लगा है या नहीं या लगने वाला है, मामला आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा और आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(3) आयोग को बिना अनुज्ञप्ति वाले किसी व्यक्ति को अपने उपकरण का संचालन रोकने तथा काटने का आदेश देने की शक्ति होगी ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुये भी, तथा धारा 3 के निबन्धनों में आयोग के स्थापित होने तक, राज्य सरकार को, इस अधिनियम

के लागू होने की तिथि से छह मास की अवधि के लिये, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत यथा अवधारित, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर विद्युत की सप्लाई के लिये राज्य में प्रसारण के कारबार में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को छह मास से अनधिक किसी अवधि के लिये इस धारा के अधीन अन्तिम अनुज्ञप्ति देने की शक्ति होगी, तथापि जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये होगी :—

(क) आयोग की स्थापना पर, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्येक अन्तिम अनुज्ञप्ति, आयोग के समक्ष रखी जायेगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा कोई अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये नियम कोई आवेदन समझा जायेगा ; और

(ख) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अन्तिम अनुज्ञप्ति उस तिथि से जिसको आयोग निर्णय संसूचित करता है विधिमान्य तथा प्रभावी नहीं रहेगी।

(5) राज्य सरकार, उप-धारा (4) के अधीन अन्तिम अनुज्ञप्तिधारियों पर, ऐसी शक्तियां, अधिकार तथा प्राधिकार सौंपने की हकदार होगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन आयोग अनुज्ञप्तिधारियों के लिये हकदार है ।

आयोग द्वारा अनुज्ञप्तियों का दिया जाना ।

15. (1) आयोग, ऐसे प्ररूप में, किये गये किसी आवेदन पर तथा ऐसी फीस, यदि कोई हो, जिसे आयोग विहित करे, के भुगतान पर, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के संबंध में प्राधिकृत करते हुये, अनुज्ञप्ति दे सकता है —

(क) प्रसारण के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली प्रसारित करने के लिये ; और/या

(ख) सप्लाई के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने के लिये ।

(2) ऐसी कोई अनुज्ञप्ति देने के संबंध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे —

(क) किसी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, अपने आवेदन का एक नोटिस, ऐसी रीति में और ऐसे विवरणों सहित, जो आयोग द्वारा विहित किये जाएं, आवेदन करने के 14 दिन के भीतर, प्रकाशित करेगा ;

(ख) आयोग तब तक कोई अनुज्ञप्ति नहीं देगा जब तक —

(i) अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों पर आयोग द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता : परन्तु किसी भी आक्षेप पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीन मास के भीतर प्राप्त नहीं होता ; और

(ii) किसी ऐसे क्षेत्र जिसमें कोई छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग आयुधशाला, डाकयार्ड या कैंप या प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के कब्जे में भवन या स्थान का पूर्ण या कोई भाग आता है, सप्लाई या प्रसारण करने के लिए किसी अनुज्ञाप्ति के लिये किसी आवेदन की दशा में, आयोग ने अभिनिश्चित कर लिया है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुज्ञप्ति देने के लिये कोई आपत्ति नहीं है ;

(ग) जहां कोई आक्षेप किसी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण में प्राप्त होता है, तो आयोग यदि उसकी राय में आक्षेप अपर्याप्त है, तो ऐसी राय के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को संसूचित करेगा ; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अनुज्ञप्ति के लिये कोई आवेदन नहीं किया जायेगा सिवाय ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की बैठक में पारित किये गये प्रस्ताव के, उसका प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए जिसका एक मास का पूर्व नोटिस ऐसी रीति में दिया गया है, जिसमें ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की बैठक के नोटिस सामान्यतः दिये जाते हैं ।

(3) किसी अनुज्ञप्ति में अन्तराल, सीमा जिस तक, तथा शर्तें तथा निबन्धन जिनके अधीन ऊर्जा का प्रसारण तथा सप्लाई की जानी है, विहित किये होंगे, तथा ऐसी अन्य शर्तें होंगी जिन्हें अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिये आयोग उचित समझे ।

(4) उपधारा (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के फलस्वरूप किसी अनुज्ञप्ति में शामिल की गई शर्तें, अनुज्ञप्तिधारी से निम्नलिखित की अपेक्षा की जा सकती है :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित किन्हीं बिजली लाइनों, विद्युत संयंत्र तथा सहयुक्त उपकरण के प्रयोग के लिये अन्य व्यक्तियों के साथ विनिर्दिष्ट निबन्धनों पर करार करना ;

(ख) आयोग द्वारा दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करना ;

(ग) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के अनुसार कार्य करना ;

(घ) अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को आयोग द्वारा निर्धारण के लिये निर्दिष्ट करना ;

(ङ) सूचना दस्तावेजें तथा ब्यौरे देना जिनकी आयोग अपने प्रयोजन के लिये या केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रयोजन के लिये अपेक्षा करे ;

(च) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की अपेक्षाओं अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन जहां तक वे लागू हों ;

(छ) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के अधीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के ऐसे कृत्यों तथा दायित्वों का भार अपने ऊपर लेना जो आयोग द्वारा विहित किये जायें ;

(ज) ऐसी बातों के लिये आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना, जो अनुज्ञप्ति शर्तों के अधीन अथवा उससे विचलन के लिये अपेक्षित हों ;

(झ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के उपबन्धों के निबन्धनों में स्कीमों सहित आयोग की किसी ऐसी स्कीम जिसे वह अपने ऊपर लेने का, प्रस्ताव कर रहा है, को अधिसूचित करना :

(ञ) आर्थिक रीति में तथा सुस्पष्ट विद्युत क्रय अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अधीन विद्युत का क्रय ; तथा

(ट) अन्य अनुज्ञप्तिधारियों अथवा ग्राहकों को थोक में प्रदाय करना ।

(5) उपधारा (3) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति में सम्मिलित शर्तें आयोग द्वारा विहित की गई अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर टैरिफ निश्चित करने के लिये अथवा उसके प्रभारों को संगणित करने के लिये ऐसे अनुज्ञप्ति धारक से अपेक्षा की जा सकती है ।

(6) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की अनुसूची में दिये गये उपबन्ध इस भाग के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक सप्लाई अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये गये समझे जाएंगे और इसका भाग बनेंगे जहां तक के सिवाय वे सप्लाई अनुज्ञप्ति द्वारा विशेष रूप से परिवर्तित या वर्जित किये जाते हैं, और ऐसे किसी परिवर्धन, परिवर्तन या अपवादों के अधीन रहते हुये, जिन्हें आयोग अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुये बनाने के लिये सशक्त रहता है, राज्य में इसके क्रियाकलापों के संबंध में अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत उपक्रम को आवेदन करेगा :

परन्तु जहां सप्लाई अनुज्ञप्ति आयोग द्वारा उन्हें अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को ऊर्जा सप्लाई के वितरण के लिये प्रदान की जाती है, तब जहां तक हो सके ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसी सप्लाई से संबंधित है, उक्त अनुसूची के खण्ड (iv), (v), (vi), (vii), (viii) तथा (xii) के उपबन्ध सप्लाई अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये गये नहीं समझे जायेंगे ।

(7) अनुज्ञप्ति में शामिल की गई शर्तें, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसी परिस्थितियों में प्रभाव को समाप्त करने अथवा उपांतरित करने की शर्तों के लिए उपबन्ध रखेंगी जो इनमें विनिर्दिष्ट किये जायें अथवा शर्तों द्वारा अथवा के अधीन निर्धारित किये जायें।

(8) उपर अनुज्ञप्ति में उपधारा (7) द्वारा शामिल किये गये किन्हीं उपबन्धों का अनुज्ञप्ति की शर्तों के संशोधन के संबंध में धारा 18 की उपधारा (5) तथा धारा (19) द्वारा किये गये उपबन्ध के, अतिरिक्त प्रभाव होगा।

(9) यदि अनुज्ञप्ति के निबन्धनों में इस प्रकार उपदर्शित किया जाये, किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति का देना उसी प्रकार के प्रयोजनार्थ सप्लाई के लिये उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने में किसी भी प्रकार से प्रतिबन्धित अथवा बाधित नहीं करेगा, अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की विशिष्टता का दावा नहीं करेगा।

(10) इस अधिनियम के निबन्धनों के अनुसार आयोग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति उपबन्ध कर सकती है कि अनुज्ञप्तिधारी को राजस्व की वसूली, चोरी के लिये अभियोजन, मीटर बिगड़ने, विद्युत की तोड़ मोड़ तथा उपभोक्ता को विद्युत के वितरण तथा प्रदाय को प्रभावित करने वाले ऐसे सभी तथा उसी प्रकार के मामलों में उचित कार्रवाई करने के लिये शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे।

(11) आयोग अनुज्ञप्तिधारियों तथा व्यक्तियों को ऐसी शक्ति तथा प्राधिकार को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करने का हकदार होगा जो अनुज्ञप्तिधारियों तथा व्यक्तियों को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के उपबन्धों के अधीन दी जा सकती है।

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट।

16. (1) आयोग सप्लाई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिये विनियम बना सकता है, किन्तु ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, के अनुपालन के अधीन रहते हुये जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें :

परन्तु आयोग ऐसे किसी विनियम के अधीन, निम्नलिखित की सहमति के सिवाय कोई छूट नहीं देगा —

(i) क्षेत्र जहां उर्जा सप्लाई की जानी है, में, स्थापित किया गया स्थानीय प्राधिकरण, यदि कोई हो ;

(ii) किसी ऐसी दशा में जहां ऊर्जा केन्द्रीय सरकार के रक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला, डाकयार्ड अथवा कैंप अथवा किसी निर्माण अथवा स्थान का भाग बनने वाले किसी क्षेत्र में सप्लाई की जानी है ;

(iii) इस अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के सप्लाई क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में :

परन्तु खण्ड (ii) के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई ऐसी सम्मति आवश्यक नहीं होगी यदि आयोग की संतष्टि हो जाती है कि ऐसी सम्मति अनुचित ढंग से रोकी गई है ।

(2) निम्नलिखित को छूट दी जा सकती है —

(क) विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों ; या
(ख) किसी विशेष व्यक्ति ; या
(ग) किसी विशेष व्यक्ति अवधि के लिये ,

और किसी विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों अथवा किसी विशेष व्यक्ति के लिये छूट ऐसी रीति में प्रकाशित की जायेगी जिसे आयोग उस व्यक्ति अथवा उस प्रवर्ग के व्यक्तियों तथा आम जनता के ध्यान में लाने के लिये उचित समझता है ।

(3) दी गई छूट आयोग द्वारा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये किसी भी समय वापस ली जा सकती है ।

(4) कोई छूट जब तक पहले ही वापस नहीं ली जाती, ऐसी अवधि के लिये लागू रहेगी जो छूट द्वारा अथवा के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अथवा निर्धारित की जाये ।

(5) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम अथवा दी गई छूट राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

अनुज्ञप्तिधारियों के सामान्य कर्तव्य तथा शक्तियां ।

17. (1) प्रसारण के क्षेत्र में अथवा सप्लाई के क्षेत्र में, जैसी भी स्थिति हो, प्रदाय अनुज्ञप्ति अथवा प्रसारण अनुज्ञप्ति के धारक का, विशेष क्षेत्र के संबंध में विद्युत प्रदाय अथवा परिरक्षण के कुशल, समन्वित तथा किफायती प्रणाली के विकास तथा रख-रखाव को बनाये रखने का कर्तव्य होगा ।

(2) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी पावर प्रणाली तथा विद्युत सप्लाई लाईनों के परिचालन तथा रख-रखाव के लिये निबन्धनों तथा शर्तों को शासित करने के लिये समय-समय पर बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगी ।

(3) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (जो संकर्मों को कार्य रूप देने से संबंधित है), की उपधारा (4), धारा 12 से 19 के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम में विद्युत प्रसारण अथवा प्रदाय के लिये अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में ऐसा प्रभाव रखेगा, मानो कि वह इस अधिनियम में अनुज्ञप्तिधारी है ।

(4) जहां ऊपर उपधारा (3) में वर्णित धाराओं में से कोई अनुज्ञप्तिधारक को उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा लागू होती है, वहां यह ऐसे निबन्धनों, अपवादों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगी, जो अनुज्ञप्ति में शामिल की जायें ।

अनुज्ञप्तियों का वापस लेना।

18. (1) आयोग अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन बाध्यताओं को कार्य रूप देने में किसी अनुज्ञप्तिधारी के आचरण अथवा कार्य प्रणाली अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों की जांच कर सकता है :—

(क) किसी उपभोक्ता, अथवा उपभोक्ता संगम अथवा किसी व्यापारी संगम से शिकायत प्राप्त होने पर; अथवा

(ख) राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उसको किये गये संदर्भ पर; अथवा

(ग) उत्पादन प्रसारण, वितरण अथवा सप्लाई में अन्तर्ग्रस्त किसी कम्पनी अथवा व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर; अथवा

(घ) अपने ज्ञान अथवा किसी स्त्रोत से प्राप्त सूचना पर

(2) ऐसी जांच करने पर आयोग, यदि उसकी राय में लोक हित ऐसे अपेक्षा करता है, तो वह निम्नलिखित मामलों में से किन्हीं में अनुज्ञप्ति वापस ले सकता है, अर्थात्:—

(क) जहां आयोग की राय में अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, अथवा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के साथ पठित, राज्य में लागू होने की सीमा तक उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उससे अपेक्षित किसी बात के किये जाने में जानबूझकर अथवा अनुचित चूक की है ;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी को भंग करता है, जिसका भंग ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसकी वापसी के देय होने को घोषित करता है ;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि या किसी लम्बी अवधि के भीतर निम्नलिखित के लिये असफल रहता है तो आयोग आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिये अनुज्ञात कर सकता है —

(i) आयोग की संतुष्टि अनुसार उसे दिखाने के लिये, कि वह उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा बाध्यताओं का पूर्णतः और कुशलता पूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में है ; और

(ii) उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति को जमा करना अथवा प्रस्तुत करना ; और

(घ) जहां आयोग की राय में अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा बाध्यताओं का पूर्णतः तथा कुशलता पूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबन्धों के होते हुये भी, जहां उसकी राय में लोकहित ऐसी अपेक्षा करता है, वहां आयोग, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर अथवा सम्मति से, और यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण, यदि कोई है, से विचार–विमर्श करने के बाद, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो वह उचित समझे, प्रदाय के क्षेत्र के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के सम्बद्ध प्रदाय अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है ।

(4) उपधारा (2) या (3) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक प्रतिसंहृत नहीं की जायेगी जब तक आयोग ऐसे आधारों को जिन पर अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने का प्रस्ताव किया गया है, कथित करते हुये, लिखित में कम से कम तीन महीने का नोटिस अनुज्ञप्तिधारी को नहीं देता तथा प्रस्ताव प्रतिसंहरण के विरुद्ध उस नोटिस की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति धारी द्वारा दर्शाये गये किसी कारण पर विचार नहीं करता है तथा ऐसे प्रतिसंहरण के लिये कारण नहीं दिये गये हैं ।

(5) आयोग, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने की बजाय, आगे ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये लागू रहने के लिये अनुज्ञात कर सकता है जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे और इस प्रकार अधिरोपित आगे कोई निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञप्ति–धारी पर बाध्य होंगी और उस द्वारा उनकी पालना की जायेगी और उसी प्रकार का बल तथा प्रभार रखेंगी जैसे कि वे अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट थी ।

अनुज्ञप्तियों का संशोधन ।

19. (1) जहां उसकी राय में लोक हित में ऐसा अनुज्ञात अथवा अपेक्षित है वहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, तो सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर अथवा अन्यथा अपने आप अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकता है जो वह अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुये उचित समझे :

परन्तु धारा 15 की उपधारा (7) अथवा धारा 18 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के अनुसरण में किसी परिवर्तन अथवा संशोधन से भिन्न कोई ऐसा परिवर्तन अथवा संशोधन अनुज्ञप्तिधारी की सम्मति के सिवाय नहीं किया जायेगा ।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में किन्हीं परिवर्तनों अथवा संशोधनों को प्रस्तावित करते हुये उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करता है, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति में तथा ऐसे विवरणों सहित आवेदन का नोटिस प्रकाशित करेगा जो आयोग द्वारा विहित किया जाये ;

(ख) आयोग तब तक कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं करेगा जब तक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन पत्र के संदर्भ में उस द्वारा प्राप्त किये गये सभी आक्षेपों पर विचार नहीं कर लिया जाता है ; और

(ग) सुरक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला, डाकयार्ड अथवा कैम्प अथवा किसी निर्माण अथवा स्थान को पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को किये जाने वाले सप्लाई के क्षेत्र में परिवर्तनों अथवा संशोधनों को प्रस्तावित करने वाले किसी आवेदन की दशा में आयोग केन्द्रीय सरकार की सम्मति के सिवाय कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं करेगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से अन्यथा अनुज्ञप्ति में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करने से पूर्व, आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों अथवा संशोधनों को प्रकाशित करेगा तथा नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तावित अथवा संशोधनों के संदर्भ में उस द्वारा प्राप्त किये गये सभी आक्षेपों पर विचार करेगा ।

उपबन्ध जहां अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है

20. (1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 तथा 7 के उपबन्धों के होते हुये भी, जहां आयोग धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करता है, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :—

(क) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण के नोटिस की तामील करेगा और ऐसी तिथि नियत करेगा जिसको प्रतिसंहरण प्रभावी होगा। उस तिथि को तथा इससे अथवा ऐसी तिथि को तथा उससे यदि वह पहले हो, तो जिसको के अनुज्ञप्तिधारियों, का उपक्रम इस अधिनियम के उपबन्धों में स किसी के अनुसरण में क्रेता को बेच दिया जाता है, तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, बाध्यतायें तथा दायित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा ऐसे किसी दायित्व के बिना निर्धारित किये जायेंगे जो उस तिथि को प्रोद्भूत हो ;

(ख) आयोग ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम को अर्जित करने के लिये आवेदन करेगा जिसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की गई है तथा उपक्रम के विक्रय के निबन्धन तथा शर्तें निर्धारित करेगा ;

(ग) आयोग लिखित में नोटिस द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से बेचने की अपेक्षा कर सकता है, और इस पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को उपक्रम बेचेगा, जिसका आवेदन आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। ऐसा व्यक्ति इस धारा में क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है ; और

(घ) आयोग विद्युत प्रसारण तथा सप्लाई के रख-रखाव के लिये अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम के संबंध में ऐसा अन्तरित प्रबन्ध कर सकता है जो उपक्रम के प्रशासकों तथा विशेष निदेशकों की नियुक्ति सहित उचित समझे जायें।

(2) जहां कोई उपक्रम उपधारा (1) के अधीन बेचा जाता है, वहां क्रेता अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के अनुसार निर्धारित की गई उपक्रम की क्रय कीमत का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को करेगा ।

(3) जहां आयोग उपक्रम को बेचने की अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करते हुये उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस जारी करता है, वहां वह ऐसे नोटिस द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से देने की अपेक्षा कर सकता है, तथा उस पर अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम की क्रय कीमत के भुगतान को लम्बित रहते हुये पदाभिहित क्रेता को उपक्रम नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को देगा :

परन्तु ऐसी किसी दशा में, क्रेता उपक्रम को देने के समय पर रिजर्व बैंक उधार दर नियम से अधिक ऐसे प्रतिशत ब्याज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को करेगा जो आयोग उपक्रम को देने की तिथि से क्रय कीमत के भुगतान की तिथि की अवधि के लिये उपक्रम का क्रय कीमत पर विनिश्चित करे ।

(4) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये नोटिस में नियत तिथि से पहले ऐसी तिथि को जिसको अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण प्रभावी होगा, वहां उपक्रम को बेचने के लिये उससे अपेक्षा करते हुये अनुज्ञप्तिधारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, अथवा जहां उस उपधारा के अधीन किसी कारण से उपक्रम का विक्रय प्रभावित नहीं हुआ है, वहां राज्य सरकार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की तिथि से उपक्रम को अर्जित करेगी तथा राज्य में यथा संशोधित भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की धारा 7क की उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार निर्धारित की गई किसी राशि का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को करेगी तथा अनुज्ञप्तिधारी की सभी बाध्यताओं की तब तक अनुपालना करेगी, जब तक राज्य सरकार नये अनुज्ञप्तिधारी को उपक्रम बेचने के लिये समर्थ नहीं हो जाती है जिसे इसे वहां तक करने का प्रयास करेगी जब युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के आदेशों का सम्यक् रूप से कार्यान्वित करेगा यह होते हुये भी कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग के आदेशों से व्यथित है तथा आयोग के आदेशों पर आक्षेप करते हुये विधिक कार्रवाई करने का आशय रखता है ।

अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों पर निर्बन्धन

21. (1) कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी आयोग की लिखित में पूर्व सम्मति के बिना, किसी भी समय, जहां तक ऊर्जा के उत्पादन करने, प्रसारण करने, वितरण करने अथवा सप्लाई करने का संबंध है, विद्युत उत्पादन करने वाला, प्रसारण करने वाला, सप्लाई करने वाला अथवा उत्पादन, प्रसारण अथवा सप्लाई करने का आशय रखने वाला कोई अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यक्ति अनुज्ञप्ति अथवा भार लेने अथवा अपने आप सहयोग द्वारा, क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जन नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी सम्मति के लिये आवेदन करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी आवेदन का निम्नलिखित को एक महीने से कम के लिए नोटिस नहीं देगा—

(क) आयोग को ;

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास सप्लाई अनुज्ञप्ति है तो अनुज्ञप्तिधारी के सप्लाई क्षेत्र में तथा ऐसे क्षेत्र में भी यदि कोई हो, जिसमें ऐसा अन्य व्यक्ति ऊर्जा की सप्लाई करता है या सप्लाई करने का आशय रखता है, दोनों में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को लिखित में पूर्व सम्मति के बिना अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी समय विक्रय, बंधक, पट्टे, विनिमय अथवा अन्यथा द्वारा नहीं सौंपेगा अथवा अपने उपक्रम को या उसके किसी भाग का अन्तरण नहीं करेगा ।

(3) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धारा 44 के उपबन्ध उन व्यक्तियों के सिवाय, जिनको यह धारा लागू होती है, लागू होंगे, उस धारा के अधीन यथा उपबंधित बोर्ड, से प्राप्त की जाने वाली ऐसी स्वीकृतियों तथा सम्मतियों की बजाए आयोग से स्वीकृतियां तथा सम्मतियां प्राप्त करने के लिये अपेक्षा की जायेगी ।

(4) सप्लाई अथवा प्रसारण अनुज्ञप्ति का कोई धारक, जब तक उसकी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिसिद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक निम्नलिखित से विद्युत के क्रय के लिये प्रबन्ध कर सकता है —

(क) सप्लाई अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्तिधारियों को उन द्वारा वितरण के लिये उर्जा सप्लाई करने हेतु जो ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को अनुज्ञात करता है ; और

(ख) आयोग की सम्मति से किसी व्यक्ति अथवा उत्पादन कम्पनी से ।

(5) उपधारा (1), (2), (3) अथवा (4) में वर्णित स्वरूप के किसी सव्यवहार से संबंधित कोई करारनामा तब तक यथा पूर्वोक्त ऐसी सम्मति से या के अधीन रहते हुये किया जाता है, शून्य हो जायेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे ।

22. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जब तक उसे अनुज्ञप्ति में अभिव्यक्त रूप से छूट नहीं दे दी जाती, या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष की तिथि से पूर्व और ऐसी तिथि तक बनाई गई अनुज्ञप्ति म यथा विनिर्दिष्ट उपक्रम और प्रत्येक पृथक कारबार यूनिटों को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे विवरण जो अनुज्ञप्त में उपदर्शित हो अपने उपक्रम के वार्षिक विवरण या लेखों का विवरण तैयार करेगा तथा आयोग को पेश करेगा। यह अनुज्ञप्ति की शर्त होगी कि ऐसी विवरणियां प्रकाशित की जायेंगी ।

भाग VII

विद्युत उद्योग का पुनर्गठन

राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन ।

23. (1) ऐसी तिथि को तथा से, जिसको इस अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अन्तरण स्कीम प्रकाशित की जाती है या ऐसी और तिथि जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये (जिसे इसमें इसके बाद प्रभावी तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कोई सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व जो प्रभावी तिथि से तुरन्त पहले बोर्ड से संबंधित है, ऐसे निबन्धों पर राज्य सरकार में निहित होंगे जो राज्य सरकार तथा बोर्ड के बीच तय पाये गये हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित कोई सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व, राज्य सरकार की ऐसी अन्य सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों तथा दायित्वों सहित, जो ऐसी स्कीम में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, पर जो राज्य सरकार तथा ट्रांसको अथवा उत्पादन कम्पनियों, जैसी भी स्थिति हो, के बीच तय पाये गये हों, ऐसी प्रकाशित अन्तरण स्कीम के अनुसार ट्रांस्को तथा उत्पादन कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा पुनः निहित किए जायेंगे ।

व्याख्या: इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये उत्पादन कम्पनी/कम्पनियों से अर्थ है, राज्य में बिजली उद्योग के पुनर्गठन को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा शामिल की जाने वाली कम्पनी अथवा कम्पनियां ।

(3) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ऐसे अधिकार तथा शक्तियां जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्य जिससे यह प्रभार्य है, के निर्वहन के प्रयोजन के लिये ट्रांस्को अथवा उत्पादन कम्पनियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रयोग की जायेंगी ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी जहां —

(क) अन्तरण स्कीम में किसी सम्पत्ति अथवा अधिरोपित अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से नियंत्रणाधीन न किये गये उपक्रम का अन्तरण अन्तर्विलित होता है तो स्कीम सरकार को अन्तरिती द्वारा भुगतान किये जाने वाले केवल उचित मूल्य के अन्तरण को प्रभावी करेगी ।

(ख) किसी ऐसे विवरण का संव्यवहार जो अन्तरण स्कीम के अनुसरण में प्रभावित होता है तीसरे पक्षकारों सहित सभी व्यक्तियों पर बाध्य होगा तथापि यदि ऐसे व्यक्ति तीसरे पक्षकार इसको सम्पति नहीं देते हैं।

(5) राज्य सरकार ट्रांसको (अन्तरक अनुज्ञप्तिधारी) या उत्पादन कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, से विचार-विमर्श करने के बाद किसी सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकारों तथा दायित्वों तथा कार्मिक को आगे अनुज्ञप्तिधारी (अन्तरिती अनुज्ञप्तिधारी) या उत्पादन कम्पनी में निहित करने के लिए, अन्तरण स्कीम को तैयार करने की उनसे अपेक्षा कर सकती है जो उपधारा (1) के अनुसार अन्तरक अनुज्ञप्तिधारी में निहित कर दी गई है।

(6) कोई अन्तरण स्कीम ,—

(क) आबंटित की जाने वाली सम्पति में हित, अधिकारों तथा दायित्वों को निम्नलिखित के अनुसार परिभाषित कर सकती है—

(i) प्रश्नगत सम्पत्ति, अधिकारों तथा दायित्वों को विनिर्दिष्ट करते हुए या वर्णित करते हुए ;

(ii) अन्तरक के उपक्रम के विनिर्दिष्ट भाग में समाविष्ट की गई सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित अधिकारों तथा दायित्वों को निर्दिष्ट करते हुए ; अथवा

(iii) भागत: एक ढंग में तथा भागत: दूसरे में ;

(iv) अन्तरण के लिए बनाई गई स्कीम की दशा में, सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व या तो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्वाधीन उपक्रम अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी को आबंटित की जा सकती है।

(ख) उपबन्ध कर सकती है कि स्कीम में निर्दिष्ट अथवा वर्णित कोई अधिकार अथवा दायित्व अन्तरक या अन्तरिती द्वारा या के विरुद्ध लागू होंगे;

(ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी पर ऐसे लिखित करारनामें करने के लिए अथवा किसी अन्य उत्तरवर्ती अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में ऐसे अन्य दस्तावेज निष्पादित करने के लिए कोई बाध्यता अधिरोपित कर सकती है, जो स्कीम में विहित की जाए ;

(घ) ऐसे अनुपूरक आनुषांगिक तथा परिणामिक उपबन्ध बना सकती है जो अंतरक अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करते हुए उपबंध सहित जिसमें कोई अन्तरण अथवा संव्यवहार प्रभावी होता हुआ समझा जाता है, उचित समझता है।

(7) बोर्ड अथवा ट्रांसको या उत्पादन कंपनी के साथ अथवा के लिए उपगत ऋण तथा बाध्यताएं, की गई सभी संविदाएं तथा किए जाने योग्य सभी मामले तथा बातें अंतरक स्कीम के प्रभावी होने से पूर्व सुसंगत अंतरक स्कीम में विनिर्दिष्ट सीमा तक सरकार अथवा अंतरिती द्वारा, से अथवा के लिए उपगत किए गए, प्रविष्ट की गई अथवा की जाने के लिए समझी जाएंगी तथा बोर्ड अथवा अंतरक अनुज्ञप्तिधारी (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा अथवा के विरुद्ध असंस्थित किए गए सभी वाद अथवा विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार अथवा सम्बद्ध अन्तरिती, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अथवा के विरुद्ध जारी रखी जा सकती हैं अथवा संस्थित की जा सकती हैं।

(8) ऐसी दशा में जिसमें किसी अनुज्ञप्तिधारी से उपधारा (5) के अनुसरण में अन्य अनुज्ञप्तिधारी में अपने उपक्रम के किसी भाग को विहित करने की अपेक्षा की जाती है आयोग धारा 19 के अनुसार अन्तरिती अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति में संशोधन करेगा अथवा धारा 18 के अनुसार उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा।

(9) बोर्ड प्रभारित नहीं रहेगा तथा तिथि के प्रभावी होने पर अथवा के बाद किए गए अंतरणों के संबंध में उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोर्ड के किन्हीं अधिकारों तथा शक्तियों में से किसी का प्रयोग ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जो शर्त सहित अन्तरण स्कीम में विनिर्दिष्ट होंगी कि वे आयोग के अनुमोदन से केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

कार्मिक से संबंधित उपबंध।

24. (1) धारा 23 के अधीन ट्रांसको या उत्पादन कंपनी में, सम्पत्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों को निहित करने पर राज्य सरकार, किसी अन्तरण की स्कीम द्वारा ट्रांसको उत्पादन कम्पनी तथा वितरण कंपनियों में कार्मिक के अंतरण के लिए उपबंध कर सकती है।

(2) कार्मिक को ऐसी अन्तरण स्कीम पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो ट्रांसको या उत्पादन कंपनी/(यों) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन पद अथवा सेवा धारण करेगा जो अन्तरण स्कीम के अनुसार निश्चित की जाए :

परन्तु अन्तरण पर, ऐसे निबन्धन तथा शर्तें किसी भी प्रकार कम अनुकूल नहीं होंगी जो उनको लागू होती हैं यदि वहां कोई निहित न हुआ होता।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, अथवा कोई अन्य विधि जो लागू है, में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियम के उपबंधों के सिवाए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्मिक के नियोजन के अन्तरण इस अधिनियम अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य विधि अथवा समान्य विधि के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय अंतरण स्कीम में ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर अथवा क्षति का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा तथा अन्तरण स्कीम के प्रयोजन के लिए "कार्मिक" पद से अभिप्राय है, सभी व्यक्ति जो प्रभावी तिथि को बोर्ड के कर्मचारी अथवा प्रतिनियुक्ति पर, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं अथवा बोर्ड की सुपुर्दगी में हैं तथा बिजली उत्पादन प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई से संबंधित कार्य के लिए सौंपे गए अन्य व्यक्ति जो किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कार्मिक भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं कि वे अन्य विभागों तथा संगठनों द्वारा नियोजित किए गए हैं।

करारनामें द्वारा अन्तरणों का फेरफार।

25. (1) राज्य सरकार उपबन्ध कर सकती है कि धारा 23 तथा 24 के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण प्रभावी तिथि से साठ मास की अवधि के लिए अंनतिम होगा तथा ऐसी रीति में परिवर्तन, फेरफार, उपांतरण, परिवर्धन अथवा अन्यथा निबन्धनों को बदलने का अधिकार आरक्षित रखेगी जिसे राज्य सरकार उचित समझे।

(2) प्रभावी तिथि से प्रारम्भ होने वाली साठ मास की अवधि के अन्त से पहले ट्रांसको तथा उत्पादन कंपनियों जिसको सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार, दायित्व तथा कार्मिक अन्तरित किए गए हैं, राज्य सरकार की सम्पत्ति से ऐसे निहित उत्पादन कंपनियों के ऐसे अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति के अधीन रहते हुए अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनियों में कुछ अथवा सभी सम्पत्ति, अधिकार, दायित्व तथा कार्मिक निहित करने के लिए तैयार कर सकती हैं तथा ऐसी कोई अन्तरण स्कीम ऐसे रूप में प्रभावी होगी जैसे कि यह धारा 23 तथा 24 के अधीन अन्तरण स्कीम थी।

भाग-VIII

टैरिफ

अनुज्ञप्तिधारी का राजस्व तथा टैरिफ।

26. (1) इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति का धारक प्रभारों से अनुमानित राजस्व की संगणना करने में समय समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रणाली-विज्ञान तथा प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो उसे उसकी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों के अनुसरण में वसूल करने के लिए तथा उन राजस्वों को संग्रहण करने के लिए अभिकल्पन टैरिफ में अनुज्ञात करता है।

(2) आयोग [उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए] राजपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित विनियमों द्वारा और ऐसी अन्य रीति में जिसे आयोग उचित समझता है, अनुज्ञप्तिधारी के राजस्व तथा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों तथा शर्तों को विहित करने का हकदार होगा, परन्तु ऐसा करने के लिए आयोग निम्नलिखित पैरामीटर द्वारा बाध्य होगा :

(क) उक्त अधिनियम की धारा 57 तथा 57क के साथ पठित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की छठी अनुसूची में उपबंधित वित्तीय सिद्धांतों तथा उनका लागू करना ;

(ख) कार्यकुशलता साधनों के आर्थिक उपयोग, अच्छे प्रदर्शन अधिकतम निवेशों को बढ़ावा देने वाली तथा अन्य मामले जिनको आयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के मुख्य उद्देश्य तथा प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है; और

(ग) उपभोक्ता के हित को शामिल करते हुए कि उपभोक्ताओं को किसी एकाधिकार या अभाव की स्थिति के कारण शोषित नहीं किया जाता है तथा उसी समय पर उपभोक्ता वाणिज्यक सिद्धान्तों पर विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई के रखरखाव के लिए युक्तियुक्त रीति में विद्युत के उपयोग के भुगतान करते हैं।

(3) जहां आयोग अनुज्ञप्तिधारियों के राजस्व तथा टैरिफ का अवधारण करते हुए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्वों से हटता है तो वह लिखित रूप में उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(4) उपरोक्त उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्रणाली विज्ञान या प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को सम्यक् रूप से प्राप्त कर लिया गया है।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, प्रभारों से अनुमानित सम्पूर्ण राजस्व को उस वित्तीय वर्ष के लिए अपनी संगणना के पूर्ण ब्यौरे आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम 3 मास पहले आयोग को उपलब्ध होगा जिससे वह विश्वास करता है कि अनुज्ञप्ति के निबन्धन के अनुसार वसूल करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उसके पश्चात् वह आगे ऐसी सूचना देगा जो आयोग अनुज्ञप्तिधारी की संगणना के निर्धारण के लिए युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा करे। ऐसी तिथि से 90 दिन के भीतर जिसको अनुज्ञप्तिधारी ने सभी सूचना दे दी है जो आयोग को अपेक्षित है जो आयोग अनुज्ञप्तिधारी को या तो अधिसूचित करेगा :—

(क) कि वह अनुज्ञप्तिधारी की संगणना स्वीकृत करता है;

(ख) कि वह अनुज्ञप्ति में दी गई प्रणाली विज्ञान या प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की संगणना पर विचार नहीं करता है तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा नोटिस देगा :—

(i) पूर्णरूप से कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा कि आयोग क्यों विचार करता है कि अनुज्ञप्तिधारी की संगणना उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रणाली विज्ञान या प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करती है या किसी तरह से गलत है; और

(ii) प्रभारों से अनुमानित राजस्व की संगणना के ऐसे उपान्तरण या अनुकल्प का प्रस्ताव करेगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी स्वीकार करेगा।

(6) प्रदाय अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक प्रदाय के क्षेत्र में परिचालित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा तथा अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र के भीतर विद्युत प्रदाय के लिए टैरिफ या टैरिफों को जनता की प्रार्थना पर उपलब्ध कराएगा तथा ऐसे टैरिफ या टैरिफों, ऐसे प्रकाशन की तिथि से केवल सात दिन के बाद प्रभावी होंगे। इस धारा के अधीन कार्यान्वित किया गया, कोई टैरिफ :—

(क) विद्युत के किसी उपभोक्ता को अनुसूचित अधिमान नहीं देगा, परन्तु उपभोक्ता को भार फैक्टर अथवा शक्ति फैक्टर के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट अवधि अथवा समय जिसपर प्रदाय की अपेक्षा की जाती है, के दौरान ऊर्जा के, उपभोक्ता द्वारा कुल उपभोग में भेद कर सकता है ;

(ख) विद्युत के उपभोग तथा प्रदाय में आर्थिक कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिए न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त तथा ऐसे रूप में होगा ; और

(ग) इस अधिनियम के सभी अन्य सुसंगत उपबन्धों तथा सुसंगत अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करेगा।

(7) उपधारा (6) द्वारा अपेक्षित कोई टैरिफ अथवा किसी टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बारबार संशोधित किया जा सकता सिवाय विहित किए गए ईंधन अधिभार फार्मूला के निबन्धनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में किसी टैरिफ अथवा टैरिफ किसी संशोधन कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन मास पहले अनुज्ञप्तिधारी आगे ऐसी सूचना सहित आयोग को प्रस्तावित टैरिफ अथवा टैरिफ के संशोधन के ब्यौरे उपलब्ध करायेगा जिनको आयोग यह निर्धारित करने के लिए अपेक्षा करे कि क्या टैरिफ अथवा संशोधित टैरिफ उपधारा (6) के उपबन्धों को पूरा करेगा। यदि आयोग विचार करता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी का प्रस्तावित टैरिफ या संशोधित टैरिफ उपधारा (6) के किन्हीं उपबन्धों में से पूर्ण सूचना जो इसे अपेक्षित हो की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर तथा आयोग की सलाहकारी समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी से विचार विमर्श करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को अधिसूचित करेगा कि प्रस्तावित टैरिफ या संशोधित टैरिफ, आयोग को अस्वीकार्य है तथा यह अनुज्ञप्तिधारी को अनुकल्पिक टैरिफ या संशोधित टैरिफ उपलब्ध करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी तब तक किसी टैरिफ का संशोधन नहीं करेगा जब तक संशोधन आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया है।

(8) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धाराओं 57क तथा 57ख में किसी बात के होते हुए भी कोई रेटिंग समिति इस अधिनियमिति की तिथि के पश्चात गठित नहीं की जाएगी तथा आयोग सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के उपबंधों के

अनुसरण में विद्युत की (थोक विक्रय तथा परचून दोनों) के विक्रय के लिए तथा उसके कनक्शन के लिए तथा उन की परिसम्पत्तियों या पद्धतियों के लिए उनके प्रभारों के बारे में उनकी अनुज्ञप्तियों के उपबन्धों का अनुपालन करता है।

(9) इस धारा में:--

(क) "प्रभारों से अनुमानित राजस्व" से अभिप्राय है, कुल राजस्व जिसे कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त क्रियाकलाप के अनुसरण में उपभोक्ताओं को माल तथा सेवाएं सप्लाई करने के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष में ऊपर उपधारा (5) के अधीन अवधारण करने में उपयोग की गई पूर्वानुमान सप्लाई के स्तर के लिए प्रभारों से वसूल करने के लिए प्रत्याशित है; और

(ख) "टैरिफ" से अभिप्राय है, विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए मानक मूल्यों या प्रभारों की कोई सूची, जो दैनिक में विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के किस्म के या किस्मों के लिए उपबंधित सभी ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं को लागू हैं।

अनुज्ञप्तिधारियों की वित्त व्यवस्था।

27. (1) राज्य सरकार, समय समय पर राज्य विधान मण्डल के अनुमोदन से इस अधिनियम अथवा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के उपबंधों के प्रयोजन के लिए, ऐसी राशि के लिए जिसकी आयोग द्वारा सिफ़ारिश की जाए तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो राज्य द्वारा अवधारित की जाए किसी अनुज्ञप्तिधारी को आर्थिक सहायता दे सकती है।

(2) राज्य सरकार समय समय पर किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी जो उस समय के लिए राज्य सरकार के पूर्णतया या अंशतया स्वामित्वाधीन है, को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो राज्य सरकार अवधारित करे अग्रिम ऋण दे सकती है, जो इस अधिनियम अथवा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, के उपबंधों के असंगत न हों।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी जो उस समय के लिए पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है, द्वारा लिए जाने वाले किसी प्रस्तावित ऋण पर मूलधन अथवा ब्याज के भुगतान अथवा दोनों के पुनः भुगतान किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी के किन्हीं अन्य वित्तीय बाध्यताओं के निपटाने की ऐसी रीति में गारंटी दे सकती है जिसे वह उचित समझे। परन्तु जब तक ऐसी कोई प्रतिभूतियां लागू हैं, तब तक राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधान मंडल के समक्ष, प्रतिभूतियों का, यदि कोई हैं, जो राज्य के चालू वित्तीय वर्ष में दी गई है, तथा उन कुल राशियों का, यदि कोई हैं, जो किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण प्रत्येक मामले में राज्य के राजस्व में से भुगतान की गई हैं अथवा ऐसे भुगतान किए गए किसी धन के पुनः भुगतान के लिए राज्य के राजस्व में भुगतान की गई, का एक अद्यतन विवरण रखेगी।

भाग IX

आदेशों को पारित करने तथा विनिश्चयों को लागू करने की आयोग की शक्ति

28. (1) जहां आयोग की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी, किसी, सुसंगत शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन करने वाला है, वहां उप-धारा 29 के अधीन अंतिम आदेश द्वारा तथा यदि वह इसे इस धारा के अधीन अन्तरिम आदेश द्वारा उप-धारा (2) के अनुसरण में इसे उचित समझता है तो ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्तरिम आदेश

(2) यह निर्धारण करने में कि क्या यह उचित है कि अन्तरिम आदेश किए जाएं, आयोग निम्नलिखित का विशेष रूप से ध्यान रखेगा :—

(क) सीमा जिस तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन तथा संभाव्य उल्लंघन, इस अधिनियम के उद्देश्यों या प्रयोजनों की प्राप्ति को प्रभावी करेगा ;

(ख) सीमा जिस तक कोई व्यक्ति, इससे पहले कि अंतिम आदेश किए जाएं किसी ऐसी बात के परिणामस्वरूप सुसंगत शर्त अथवा अपेक्षा के उल्लंघन में किए जाने के लिए अथवा लुप्त किए जाने के लिए हानि अथवा नुक्सान उठाने के लिए सम्भाव्य है; और

(ग) सीमा जिस तक (इस धारा के आगामी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए) सुसंगत शर्त या अपेक्षा के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में कोई अन्य उपलभ्य उपचार हैं।

(3) यदि आयोग कोई अन्तरिम आदेश करने का प्रस्ताव करता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित नोटिस देगा :—

(क) कथन करते हुए कि यह आदेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) उल्लिखित करते हुए :—

(i) सुसंगत शर्तें या अपेक्षा जिनका प्रस्तावित आदेश द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना आशयित है;

(ii) कार्य या लोप जो उसकी राय में, उस शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन नियत करते हैं; और

(iii) अन्य तथ्य जो उसकी राय में, प्रस्तावित आदेश का किया जाना न्यायोचित ठहराता है; और

(iv) प्रस्तावित आदेश के परिणाम;

(ग) अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए (नोटिस की तिथि से 5 दिन से कम न हो) जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन अथवा आक्षेप कर सकता है।

(4) उप-धारा (5) के अधीन रहते हुए, उप-धारा (3), (ग) के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किन्हीं प्रतिवेदनों या आक्षेपों पर विचार करने के बाद, आयोग उप-धारा (3) (ग) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय कोई अन्तरिम आदेश जो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिवेदनों या आक्षेपों के अनुसार प्रस्तावित आदेश से उपान्तरित किया जा सकता है, यदि :—

(क) आयोग के पास विश्वास करने का अच्छा कारण है, कि अनुज्ञप्तिधारी से आदेश संबंधित है, ने किसी सुसंगत शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन किया या उल्लंघन कर रहा या उल्लंघन किया जाना संभाव्य है; और

(ख) आदेश द्वारा किए गए उपबन्ध उस शर्त या अपेक्षा सहित सुनिश्चित अनुपालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

(5) आयोग कोई अंतरिम आदेश नहीं करेगा यदि उससे सन्तुष्टि हो जाती है कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी कदम उठाने के लिए सहमत हो गया है तथा उठा रहा है जिन्हें आयोग समझता है कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रश्नगत शर्त या अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चत या सुकर बनाने के लिए करना चाहिए।

(6) कोई अन्तरिम आदेश:—

(क) उस अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करेगा जिससे यह (मामले की परिस्थितियों के अनुसार) ऐसी बातें करने अथवा न करने से संबंधित है जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट विवरण की है;

(ख) पूर्वतम व्यवहार्य समय होने के नाते ऐसे समय से प्रभावी होगा, जो आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है; और

(ग) आयोग द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत, उपान्तरित, अथवा विखंडित किया जा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में ऐसी अवधि के अंत में, जो आदेश में वर्णित की जाती है, का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तब तक अंतिरम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में घोषित करने के लिए धारा 29 में कथित प्रक्रिया का अनुसरण उस समय नहीं करता है।

(7) अन्तरिम आदेश करने के बाद यथा साध्य शीघ्र ही आयोग :—

(क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को जिससे आदेश संबंधित है, आदेश की एक प्रति तामील करेगा;

(ख) ऐसी रीति में आदेश प्रकाशित करवाएगा जिसे वह इसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के ध्यान में लाने के प्रयोजन के लिए उचित समझता है; और

(ग) धारा 29 के अनुसार अन्तरिम आदेशों के अंतिम आदेश के रूप में घोषित करने के लिए कार्यवाइयां प्रारम्भ करेगा।

29. (1) यदि आयोग अंतिम आदेश करने अथवा अंतरिम आदेश के अंतिम आदेश के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो आयोग नोटिस देगा,— अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम आदेश।

(क) कथन करते हुए कि वह अंतिम आदेश करने या अन्तरिम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करता है;

(ख) प्रस्तावित अंतिम आदेश के संबंध में धारा 28 की उप-धारा (3) (ख) में निर्दिष्ठ सूचना को उपवर्णित करते हुए; और

(ग) अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए, (नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन से कम न होते हुए) जिसके भीतर प्रस्तावित आदेश के लिए प्रतिवेदन या आक्षेप किए जा सकते हैं।

और किन्हीं प्रतिवेदनों अथवा आक्षेपों पर विचार करेगा जो सम्यक् रूप से किये जाते हैं तथा वापस नहीं लिये जाते हैं। आयोग ऐसे प्रतिवेदनों तथा आक्षेपों का नोटिस प्रकाशित करेगा तथा ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट करेगा। (नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन से कम न होते हुये) जिसके भीतर आगे प्रतिवेदन अथवा आक्षेप किये जा सकते हों।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित नोटिस दिया जायेगा :—

(क) ऐसी रीति में नोटिस प्रकाशित करते हुये जिसे आयोग उस द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों जिनसे नोटिस संबंधित है, के ध्यान में मामले लाने के प्रयोजन को उचित समझता है ; और

(ख) अनुज्ञप्तिधारी जिससे आदेश संबंधित है, को नोटिस की एक प्रति और अंतिम प्रस्तावित आदेश की एक प्रति की तामील करते हुये।

(3) आयोग उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्रकाशनों के अनुसार प्राप्त किन्हीं प्रतिवेदनों अथवा आक्षेपों के परिणामस्वरूप प्रस्तावित अंतिम आदेश को उपांतरित नहीं करेगा, सिवाय :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी जिससे प्रस्तावित अंतिम आदेश संबंधित है, को उपांतरण के लिये सम्मति से ; और

(ख) नीचे उप-धारा (4) के नीचे अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात्।

(4) उपरोक्त उप-धारा (3) में वर्णित अपेक्षाएं हैं कि आयोग :—

(क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिससे प्रस्तावित अंतिम आदेश संबंधित है, को ऐसा नोटिस तामील करेगा, जो ऐसे उपान्तरणों के ब्यौरे सहित, प्रस्तावित अंतिम आदेश को उपांतरित करने के प्रस्ताव के लिये आयोग को अपेक्षित प्रतीत हो ;

(ख) इस नोटिस में ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट करेगा (नोटिस के तामील की तिथि स 30 दिन से कम होते हुये) जिसके भीतर प्रस्तावित उपांतरणों में प्रतिवेदन अथवा आक्षेप किये जा सकते हैं ; और

(ग) किन्हीं प्रतिवेदनों अथवा आक्षेपों पर विचार करेगा जो सम्यक् रूप से बनाये गये हैं तथा 10 दिन के भीतर वापस नहीं किये गए हैं।

(5) धारा 28 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) तथा (ख) के उपबन्ध अन्तिम आदेशों को लागू होंगे ।

(6) अन्तिम आदेश करने के बाद यथासाध्य शीघ्र आयोग अन्तिम आदेश के संबंध में धारा 28 की उप-धारा (7) के खण्ड (क) तथा (ख) में दी गई प्रक्रिया का अनुकरण करेगा ।

(7) आयोग किसी भी अन्तिम आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है, किन्तु किसी अन्तिम आदेश को प्रतिसंहृत करने से पूर्व आयोग निम्नलिखित नोटिस देगा :—

(क) विवरण देते हुये कि यह आदेश को प्रतिसंहृत करने का तथा इसके प्रभाव को उल्लिखित करने का प्रस्ताव करता है; और

(ख) अवधि विनिर्दिष्ट करते हुये (नोटिस देने की तिथि से 30 दिन से कम न होते हुये) जिसके भीतर प्रस्तावित प्रकाशन के लिये प्रतिवेदन अथवा आक्षेप किये जा सकते हैं तथा कोई प्रतिवेदन अथवा आक्षेप जो सम्यक् रूप से किये गये हैं तथा 10 दिन की अवधि के भीतर वापिस नहीं लिये गये, पर विचार करेगा ।

(8) यदि, उपरोक्त उप-धारा (7) के अधीन, कोई नोटिस देने के बाद, आयोग अन्तिम आदेश, जिससे नोटिस संबंधित है, प्रतिसंहृत न करने का विनिश्चय करता है, तो तो वह सम्बद्ध व्यक्तियों को इसके विनिश्चय का नोटिस देगा ।

(9) उपरोक्त उप-धारा (7) अथवा (8) के अधीन कोई नोटिस द्वारा 28 की उप-धारा 7 के खण्ड (क) तथा (ख) में दी गई प्रक्रिया द्वारा दिया जायेगा ।

अन्तरिम और अन्तिम आदेशों का प्रभाव तथा लागू होना और आपतिकाल उपबंध।

30. (1) इस अधिनियम की धारा 46 में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग द्वारा पारित किये गये अन्तरिम अथवा अन्तिम सभी आदेश तथा निदेश, विधि में इस प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानों यह किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई हो ।

(2) आयोग द्वारा दिए गये आदेशों तथा निदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये अपेक्षित राज्य में पुलिस और अन्य प्राधिकारियों की ऐसी सहायता करने के लिये आयोग हकदार होगा ।

(3) आयोग मामले में, किसी लम्बित जांच तथा अन्तरिम या अन्तिम आदेश पारित करने में उपक्रम की आस्तियों, हितों तथा अधिकारों सहित अनुज्ञप्तिधारी के किसी उपक्रम के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण को निहित करने के लिये निर्देश देने के लिये हकदार होगा, यदि आयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों तथा उपभोक्ताओं को कुशल तथा सुरक्षित रीति में बिजली की लगातार सप्लाई बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये विचार करता है, ऐसे आदेशों तथा निर्देशनों को पारित करना आसान होगा । ऐसे निर्देशन तथा आदेश इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी को आदेश अथवा निर्देशन पारित करने के आशय का कोई पूर्व नोटिस अथवा सुनवाई नहीं की गई थी । किन्तु आयोग अनुज्ञप्तिधारी को अवसर देगा तथा इस अधिनियम की धारा 28 तथा 29 के अर्थों में आगे आदेश पारित करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी की सुनवाई करेगा ।

जुर्माने तथा प्रभार।

31. (1) आयोग इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों तथा आयोग द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों की अपेक्षाओं का उत्पादक कम्पनियों अनुज्ञप्तिधारियों अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से अपालन अथवा उल्लंघन के लिये ऐसे जुर्माने तथा प्रभार अधिरोपित करने का हकदार होगा, जो विनियमों में आयोग द्वारा विहित किये जायें। जुर्माना जिसे आयोग अधिरोपित करने के लिये हकदार है, 1,00,000 रुपये (एक लाख) तक अपालन अथवा उल्लंघन के कार्य के लिये बढ़ाया जा सकता है तथा आगे राशि प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपालन अथवा उल्लंघन जारी रहता है, 6000 रुपये (छह हजार) से अधिक नहीं होगी।

(2) आयोग इस भाग के अधीन कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेश करते समय उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित उल्लंघन अथवा अपालन के दोषी व्यक्ति द्वारा ऐसे उल्लंघन अथवा अपालन द्वारा प्रभावित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के भुगतान किये जाने का निर्देश देने का हकदार होगा ।

(3) जुर्माने, प्रभार तथा प्रतिकर जो आयोग द्वारा इस धारा के अधीन लगाये जायें इसके अतिरिक्त होंगे तथा किसी अन्य दायित्व के अल्पीकरण में नहीं होंगे जो उल्लंघन अथवा अपालन के दोषी व्यक्ति द्वारा उपगत किये हैं।

आयोग का सामान्य नियन्त्रण।

31क. (1) उत्पादक कम्पनियां बिजली प्रणाली तथा बिजली सप्लाई लाइनों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिये निबन्धन तथा शर्तों को शासित करने वाले आयोग द्वारा समय-समय पर बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

(2) अधिनियम के लागू होने के बाद चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में राज्य में स्थापित हरियाणा राज्य में बिजली उद्योग के सम्बन्ध में भी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, सम्पति में हित तथा भाग बनने वाली या उपयोग की गई सभी सुविधाएं विशेष सम्पत्तियां समझी जायेंगी तथा ये आयोग द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के अधीन रहते हुये होंगे।

भाग X

सलाहकार समिति, उपभोक्ता परामर्श आदि

आयोग सलाहकार समिति।

32. (1) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से एक समिति गठित करेगा जो आयोग सलाहकार समिति के नाम से जानी जायेगी, जो कम से कम 9 तथा अधिक से अधिक 15 व्यक्तियों की संख्या से गठित होगी जो आयोग ऐसे प्रतिनिधियों अथवा निकायों के प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद हितों का अनुसरण करने के लिये नियुक्त करे, जैसा कि आयोग उचित समझे अर्थात् राज्य में सप्लाई अनुज्ञप्ति के धारक, राज्य में प्रसारण अनुज्ञप्तियों के धारक, राज्य में संचालित करने वाली उत्पादक कम्पनियां, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, बिजली सप्लाई उद्योग में नियोजित श्रमिक तथा बिजली के उपभोक्ता।

(2) आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य आयोग परामर्श समिति के पदेन अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे।

(3) आयोग परामर्श समिति की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(4) आयोग परामर्श समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) राज्य में बिजली उद्योग से संबंधित मुख्य नीति मामलों में आयोग को परामर्श देना; और

(ख) अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा सीमा से संबंधित मामलों तथा उनकी अनुज्ञप्तियों की शर्तों तथा अपेक्षाओं के अनुपालन सहित किन्हीं मामलों पर आयोग को परामर्श देना जो आयोग इसके सम्मुख रखे।

उपभोक्ता संरक्षण, मानदण्ड अनुपालन।

33. (1) आयोग (क) अनुज्ञप्ति सप्लाई धारकों (ख) संभावित प्रभावित होने वाले व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के प्रवर्ग के प्रतिनिधि प्रतीत होने वाले आयोग के अन्य व्यक्तियों तथा निकायों के तथा (ग) आयोग परामर्श समिति से परामर्श के बाद निम्नलिखित विहित करते हुये विनियम बनायेगा :—

(क) परिस्थितियां जिनमें ऐसे अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों को उनके अधिकार सूचित करते हैं ;

(ख) ग्राहकों को बिजली सप्लाई के संबंध में ऊपर उपधारा (क) के अधीन या अन्यथा उत्पन्न होने वाले किन्हीं कर्तव्यों के पालन के संबंध में मानदण्ड ; और

(ग) परिस्थितियां, जिनमें अनुज्ञप्तिधारी को विनियमों अथवा इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं से छूट दी जाती है तथा विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिये विभिन्न उपबन्ध कर सकती है ।

(2) इसमें या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों की कोई बात किसी भी प्रकार से प्रतिकूल नहीं होगी या अन्य विधियों सहित के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा विशेष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, तक सीमित नहीं होगी ।

बिजली सप्लाई, सम्पूर्ण अनुपालन मानदण्ड ।

34. (1) आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों, आयोग परामर्श समिति तथा व्यक्तियों या निकायों जो समय-समय पर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधि प्रतीत हों, से परामर्श के बाद :—

(क) बिजली सप्लाई सेवाओं के उपबन्ध के संबध में तथा उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन देने के संबंध में, जोकि इसकी राय में लाभाकारी है, और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त करनी चाहिये, के सम्पूर्ण अनुपालन का ऐसा मानदण्ड निर्धारित करना ; और

(ख) प्रकाशन के लिये प्ररूप तथा ऐसी रीति में व्यवस्था करना, जैसा वह इस प्रकार निर्धारित मानदण्ड को उचित समझे ।

(2) इस धारा के अधीन विभिन्न अनुज्ञप्तियों के लिये विभिन्न मानदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं ।

अनुपालन के स्तर के संबंध में सूचना ।

35. (1) आयोग समय-समय पर, निम्नलिखित के संबंध में सूचना एकत्रित करेगा :—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों पर उद्गृहीत जुर्माने तथा शास्तियां;

(ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रसारण तथा बिजली सप्लाई सेवाओं के उपबन्धों के संबंध में प्राप्त सम्पूर्ण अनुपालन का स्तर; और

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के कुशल उपयोग को प्रोन्नत करने के संबंध में ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त अनुपालन का स्तर ।

(2) प्रत्येक वर्ष ऐसी तिथि को या पूर्व जो आयोग द्वारा दिये गये निर्देशन में विनिर्दिष्ट की जाये, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेगा :—

(क) विहित किये गये प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में उन मामलों की संख्या, जिनमें शास्ति उद्गृहीत की गई थी तथा उन शास्तियों के मूल्य की कुल राशि ; और

(ख) निर्धारित प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किये गये अनुपालन के स्तर के संबंध में ऐसी सूचना जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाये ।

(3) आयोग प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जो यह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा संगृहीत या दी गई ऐसी सूचना को, जो आयोग को इस प्रकार अपेक्षित प्रतीत हो, प्रकाशन के लिये उपबन्ध करेगा ।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध ।

36. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी विशेष कारबार के संबंध में कोई गोपनीय सूचना जो :—

(क) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन या के आधार पर आयोग द्वारा प्राप्त की गई है ; और

(ख) किसी व्यक्ति या किसी विशेष कारबार के कार्यों से संबंधित है,

उस व्यक्ति के जीवन समय के दौरान या उस समय तक कि वह विशेष कारबार कार्यान्वित होना लागू रहता है, उस व्यक्ति या उस कारबार के कार्यान्वियन जारी रहते हुये व्यक्ति की सहमति के बिना आयोग द्वारा प्रकटीकरण किया जायेगा ।

(2) ऊपर उपधारा (1) में दिये गये प्रतिबन्ध सूचना के किसी प्रकटीकरण को लागू नहीं होंगे, जो निम्नलिखित के लिये की जाती है —

(क) किसी परिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा इसके कार्यों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिये सुकर बनाने के प्रयोजन के लिये ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम या किसी केन्द्रीय विधायन के अधीन इसके किन्हीं कर्तव्यों या कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये सुकर बनाने के प्रयोजन के लिये ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन महालेखाकार हरियाणा द्वारा उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये सुकर बनाने के प्रयोजन के लिये ;

(घ) दिवालियापन से संबंधित अधिनियमिति के अधीन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये समर्थ तथा सहायक बनाने के प्रयोजन के लिये ;

(ङ) किसी दाण्डिक अपराध के अन्वेषण के संबंध में या किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये ;

(च) इस अधिनियम के अधीन के आधार पर लाई गई किन्हीं सिविल कार्यवाहियां या किसी अन्य राज्य या केन्द्रीय विधायन जिससे सूचना प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत है के प्रयोजन के लिये ;

(3) ऊपर उपधारा (1) में दिये गये प्रतिबन्ध ऐसी किसी सूचना के प्रकटीकरण को लागू नहीं होंगे जो अन्यथा लोक क्षेत्र में है ।

भाग XI

मध्यस्थता तथा अपीलें

आयोग द्वारा मध्यस्थता ।

37. (1) माध्यस्थ तथा सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का संख्या 26) में किसी बात के होते हुऐ भी अनुज्ञप्तिधारियों के बीच या धारा 33 के अधीन उपबन्धित मामलों के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई विवाद आयोग को भेजा जायेगा । आयोग ऐसे विवादों का न्यायनिर्णयन तथा निर्धारण करने के लिये माध्यस्थ तथा मध्यस्थों के नामनिदेशिती के रूप में कार्य करने के लिये कार्यवाही करेगा । ऐसे किसी न्यायनिर्णयन तथा निर्धारण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रथा या प्रक्रिया ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

(2) जहां अधिनिर्णय आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जाता है यह आयोग के सामने दायर किया जायेगा और आयोग निम्नलिखित सहित अधिनिर्णय पर उचित आदेश पास करने का हकदार होगा, निम्नलिखित आदेश करेगा :—

(क) अधिनिर्णय की पुष्ट तथा लागू करना ;
(ख) अधिनिर्णय को उपान्तरित या अपास्त करना ; या
(ग) अधिनिर्णय को माध्यस्थ द्वारा पुनर्विचार क के लिए जमा करना ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा दिया गया अधिनिर्णय या उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश आयोग का निर्णय तथा आदेश होगा तथा इस अधिनियम में यथाउपबन्धित के अनुसार अपील योग्य होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा दिया गया कोई अधिनिर्णय या पास किया गया आदेश इस प्रकार लागू होगा, मानो यह सिविल न्यायालय की डिक्री थी ।

बिजली निरीक्षकों के विनिश्चयों से अपील ।

38. धारा 36 (2) के उपबन्धों के होते हुये भी, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाय गये किसी नियम के प्रतिकूल किसी विशेष उपबन्ध की अनुपस्थिति में किसी विद्युत निरीक्षक (केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निरीक्षक से भिन्न) के विनिश्चय से अपील आयोग या धारा 37 के निबन्धनों में आयोग द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी मध्यस्थ को अपील होगी ।

आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील ।

39. इस अधिनियम के अधीन पास किये गये आयोग के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति विनिश्चय के संसूचित किये जाने की तिथि से या ऐसे आदेश से उठने वाल किसी प्रश्न पर आयोग द्वारा उसे दिये गये आदेश के 90 दिन के भीतर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है :

परन्तु उच्च न्यायालय यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर पर्याप्त कारण द्वारा अपील दायर करने से रोका गया था। अपील फाईल करने के लिये आगामी 60 दिन से अनधिक की अवधि के भीतर अनुज्ञात करेगा ।

भाग XII

अपराध तथा शास्तियां

धारा 14 के उल्लंघन के लिये शास्ति ।

40. जो कोई भी इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों या भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये उपबन्धों के उल्लंघन में प्रसारण, सप्लाई या ऊर्जा के उपयोग के व्यवसाय में लगता है, कारावास से दण्डनीय होगा जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने द्वारा शास्ति से जो 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से और आगे शास्ति से जो पहले के बाद जिसके दौरान अपराध जारी है, 6,000 रुपये (छह हजार) तक बढ़ाया जा सकता है ।

अन्य उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति ।

41. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी निर्देशन, आदेश अथवा अपेक्षा का युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपालन करने से या प्रभावी बनाने से इन्कार करता है या असफल रहता है, तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने द्वारा शासित से जो 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से और आगे इन शास्ति से जो पहले के बाद प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, 4,000 रुपये (चार हजार) तक बढ़ाई जा सकती है ।

42. (1) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय पर कम्पनी तथा कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये भार साधक तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी दायी होगी और तदनुसार दण्डित किया जायेगा : कम्पनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उप-धारा में दी गई कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिये दायी नहीं बनायेगी यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसके द्वारा ऐसे अपराध करने से रोकने के लिये सभी सम्यक् सचेतना का प्रयोग किया गया था ।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उनकी किसी लापरवाही के लिये अरोप्य है, ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी दायी होगी और तदनुसार दण्डित किया जायेगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" से अभिप्राय है कोई निगमित निकाय तथा इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का संगम शामिल है ; और

(ख) "निदेशक" किसी फर्म के संबंध में अभिप्राय है, फर्म में कोई भागीदार ।

43. आयोग कारण अभिलिखित करते हुए, कार्यवाहियों के या तो संस्थित करने से पूर्व या बाद इसके द्वारा किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है । अपराधों को प्रशमन करने की शक्ति ।

44. (1) कोई भी न्यायालय आयोग द्वारा इस निमित्त साधारण रूप से अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई किसी शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा तथा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा । अपराधों का संज्ञान।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, न्यायालय यदि वह ऐसा करने का कारण देखता है, शिकायत करने वाले आयोग के अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति को छोड़ सकता है ।

शास्तियों तथा कार्यवाहियों का अन्य कार्यवाइयों में प्रतिकूल न होना ।

45. अधिनियम या आयोग द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों तथा कारवाइयां ऐसी कारवाईयों के अतिरिक्त तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी जो अन्य अधिनियम सहित तथा विशेष रूप से भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के अधीन संस्थित की जा सकें ।

भाग XIII

विविध

फीसों, जुर्मानों तथा प्रभारों की वसूली ।

46. आयोग इस अधिनियम के अधीन हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम, 1970, के उपबन्धों के अनुसार इसे देय सभी राशियों को चाहे अनुज्ञप्ति, फीस, जुर्माने तथा प्रभारों के रूप में इस प्रकार वसूल करने का हकदार होगा मानो कोई राशि उस अधिनियम में यथा परिभाषित लोक मांग थी तथा सम्बद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी को देय राशि सौंप देगा ।

जुर्माना तथा प्रभारों का लागू होना ।

47. इस अधिनियम के अधीन जुर्माना तथा प्रभार अधिरोपित करने वाला आयोग या न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है कि सम्पूर्ण अथवा उनका कोई भाग कार्यवाहियों की लागतों के भुगतान में या की ओर लागू होगा ।

अधिरोपित जुर्मानों या शास्तियों के किसी भाग का हस्तांतरित न होना ।

48. अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादक कम्पनियां तथा अन्य जिन पर इस अधिनियम के अधीन जुर्माने, प्रभार या शास्तियां आदि अधिारोपित की जाती हैं उसे उपभोक्ताओं को भुगतान योग्य टैरिफ या प्रभारों के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेंगे ।

संदभावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण ।

49. किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, आयोग, अथवा, अध्यक्ष अथवा आयोग के अन्य सदस्यों अथवा अमला अथवा आयोग के प्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा विनियमों अथवा किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए तात्पर्यित है ।

अधिकारिता का दर्जन ।

50. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय कोई आदेश या प्रस्ताव नहीं किया जाएगा तथा किसी भी सिविल न्यायालय को जिसमें मध्यस्थ तथा सुलाह अधिनियम, 1996, के अधीन भी शामिल है, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जिसे आयोग या अपील प्राधिकारी अधिनियम के अधीन सशक्त है या अधिनियम द्वारा विनिश्चित करता है, अधिकारिता नहीं होगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

51. (1) यदि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, स्कीम या आदेशों के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियमों के उपबन्धों के असंगत न हों ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

52. आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 193, 219 तथा 228 के अर्थों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 195 तथा अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए आयोग सिविल न्यायालय समझा जाएगा। आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

53. इस अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को कार्यरूप देने के लिए नियुक्त आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य तथा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे। आयोग के सदस्यों तथा अमले का लोक सेवक होना।

54. (1) आयोग इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के उचित पालन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेष रूप में तथा इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित पूर्वगामी उपबन्धों तथा मामलों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) आयोग के कार्य का प्रशासन इसकी प्रशासनिक अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक शक्तियों सहित जिसमें मध्यस्थता तथा प्रक्रिया शामिल है, का प्रयोग करना, आयोग की बैठक बुलाना तथा आयोजित करना, समय तथा स्थान जिस पर ऐसी बैठकें होंगी, उसके कार्य का संचालन;

(ख) आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य उनके वेतन भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ग) उत्पादन क्रय, प्रसारण, वितरण और सप्लाई में लगे हुए अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्यों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का विनिश्चत करना, रीति जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा तथा विद्युत प्रणाली तथा विद्युत सप्लाई लाइनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा संहिता;

(घ) प्रसारण तथा सप्लाई के अनुज्ञापान के लिए प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध किए जाने वाली अनुज्ञप्तियों तथा विवरणों, ब्यौरों तथा दस्तावेजों को प्रदान करने के लिए शर्तें, मानदण्ड तथा सामान्य शर्तें जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, अनुज्ञप्ति के देने, प्रतिसंहृत करने तथा संशोधन से छूट देना तथा उसके प्रभाव, अनुज्ञप्ति का तथा उपर्युक्त से संबंधित सभी मामले;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार तथा बाध्यताएं;

(च) दिए जाने वाले विवरण, बिजली के उत्पादन में लगे हुए प्रसारण, वितरण, सप्लाई तथा उपयोग में लगे हुए व्यक्तियों से अथवा की सूचना, ब्यौरे, विवरण, दस्तावेजें, लेखे पुस्तकें आदि का संग्रहण, रीति जिसमें वे दिए जाने हैं तथा उसी उत्पादन को लागू करना तथा बाध्य करना;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी के राजस्वों, टैरिफ नियतन के निर्धारण का ढंग तथा रीति, ऐसे निर्धारण तथा नियतन में विचार किए जाने वाले मामले;

(ज) आयोग परामर्श समिति का गठन;

(झ) राज्य में बिजली के उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई में लगे हुए व्यक्तियों के कार्य का स्तर का निर्धारण;

(ञ) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किए जाने वाले जुर्मानों तथा शास्तियों की राशि जिसमें जुर्मानों तथा शास्तियों के लगाने तथा उनके संग्रहण का ढंग तथा रीति शामिल है;

(ट) प्ररूप तथा रीति को विहित करना, जिसमें आयोग के लेखे रखें जाएंगे; और

(ठ) राज्य में सम्पत्तियों में उपयोग की गई या बिजली उद्योग के संबंध में सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों तथा हितों को विनियमित करना।

नियम बनाने की शक्ति :

55. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप में तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा इस अधिनियम में विशेष रूप में उपबन्धित मामलों में ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकते हैं; अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ;

(ख) अन्तरण स्कीम की तयारी तथा कार्यान्वयन, राज्य में उत्पादक कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्यों को आस्तियों देयताओं तथा कार्मिकों का अन्तरण; और

(ग) राज्य में विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सप्लाई में लगे हुए व्यक्तियों को वित्तपोषित करना, निधि देना, गारण्टी आदि देना।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सम्मुख जब यह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व राज्य विधान मण्डल नियम में कोई उपान्तरण करने में सहमत हो जाता है, नियम उसके बाद केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभाव रखेगा, किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण उस नियम के अधीन पूर्व की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

भाग XIV

विद्यमान केन्द्रीय विधान पर प्रभाव

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 पर अधिनियम का प्रभाव।

56. (1) इस अधिनियम की धारा 57 में यथाउपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध इस बात के होते हुए कि ये भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के असंगत है या प्रतिकूल हैं, उप-धारा (3) में उपबन्धित रीति तथा सीमा तक अभिभावी होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रहते हुए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, में सभी मामलों के संबंध में जिसके साथ आयोग के गठन पर हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का संबंध अथवा लेन देन रहा है, बोर्ड के कृत्यों का आयोग तथा ट्रांस्को द्वारा निर्वहन किया जाएगा, परन्तु फिर भी--

(क) राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित सभी नीति निर्देशन जारी करने के लिए हकदार होगी तथा सम्पूर्ण योजना समन्वयों का जिम्मा लेगी और इस सीमा तक हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और उसके अधीन नियमों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार में निहित होंगे और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से समन्वय तथा संव्यवहार करेगी।

(ख) ऐसे मामलों के संबंध में, जिन्हें आयोग साधारण या विशेष आदेश के निबन्धनों में या विनियमों में या अनुज्ञप्ति में, जैसी भी स्थिति हो, निर्दिष्ट करे उत्पादक कम्पनी या कम्पनियां, अनुज्ञप्तिधारी या अन्य निगमित निकाय, जो आयोग द्वारा पदाभिहित किए जायें, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, के अधीन आयोग द्वारा निर्दिष्ट या अनुज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) इस धारा की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन रहते हुए, आयोग की स्थापना पर, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबन्ध जहां तक राज्य का संबंध है, निम्नलिखित उपान्तरणों तथा आरक्षणों के अधीन रहते हुए पढ़े जाएंगे :—

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910

(i) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में राज्य बिजली बोर्ड के सभी सन्दर्भ जहां तक राज्य का संबंध है, हरियाणा विद्युत आयोग या ट्रांसको के सन्दर्भ में या अन्य अनुज्ञप्तिधारी या जहां कहीं भी यह सामान्य नीति मामलों से संबंधित है, राज्य सरकार के संदर्भ में पढ़े जाएंगे।

(ii) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 3 से 11, 28, 36 (2), 49क तथा 50 तथा 51 में उपबंधित मामलों के संबध में, इस अधिनियम की सीमा तक, विशिष्ट उपबन्ध किए गए हैं, भारतीय अधिनियम, 1910 के उपबन्ध राज्य में लागू नहीं होंगे।

(iii) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित मामलों के सिवाय लागू होंगे :—

(क) "अनुज्ञप्ति", "अनुज्ञप्तिधारी", "अनुज्ञप्तिधारक", शब्दों के इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित अर्थ होंगे और अनुज्ञप्तियों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन जारी किया हुआ है;

(ख) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों में, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की सभी धाराओं के सन्दर्भ उक्त अधिनियम की उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के अनुरूप उपबन्धों के संदर्भ के रूप में लिए जाएंगे;

(ग) इस अधिनियम में मध्यस्थता के संदर्भ जहां ये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हैं, के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 37 के अधीन कार्यवाहियों के रूप में लिए जाएंगे तथा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन विहित मध्यस्थता प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(iv) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, की अनुसूची केवल इस अधिनियम के उपबन्धों क संदर्भ में वहां लागू होगी जहां अनुसूचियों का लागू होना विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्यथा नहीं।

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948

(v) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में राज्य विद्युत बोर्ड के सभी सन्दर्भों का जहां तक हरियाणा राज्य में संबध है हरियाणा बिजली विनियम आयोग अथवा ट्रांसको को संदर्भ के रूप में पढ़े जाएंगे या अन्य अनुज्ञप्तिधारी या जहां यह सामान्य नीति मामलों से संबंधित है, राज्य सरकार ।

(vi) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 से 18, 19, 20, 23 से 27, 37, 40 से 45, 46 से 54, 56 से 69, 72 तथा 75 से 83 तक की धाराओं में उपबंधित मामलों के संबध में, इस अधिनियम में जिस सीमा तक विशेष उपबन्ध किए गए हैं, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के उपबन्ध राज्य को लागू नहीं होंगे ।

(vii) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की अन्य सभी धाराओं के उपबन्ध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे :—

(क) "अनुज्ञप्ति", "अनुज्ञप्तिधारी", "अनुज्ञप्धिारक" शब्दों के इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित अर्थ होंगे तथा अनुज्ञप्तियों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन जारी किया हुआ है;

(ख) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धाराओं के विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, के उपबन्धों के संदर्भ, उक्त अधिनियम, द्वारा उपान्तरित सीमा तक इस अधिनियम के अनुरूप उपबन्धों के संदर्भ के रूप में लिए जाएंगे ;

(ग) इन उपबन्धों में मध्यस्थम के संदर्भ, जहां यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा है, के सिवाय, इस अधिनियम की धारा 37 के अधीन कार्यवाहियों के संदर्भ के रूप में लिए जाएंगे तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, के अधीन विहित मध्यस्थम प्रक्रिया लागू नहीं होगी ।

(viii) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की धारा 72 तथा 73 के उपबन्ध उत्पादक कम्पनियों तक प्रतिबन्धित होंगे तथा इ धाराओं में राज्य बिजली बोर्ड को संदर्भ हट जाएंगे,

(ix) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, की अनुसूचियां केवल इस अधिनियम के उपबन्धों के संदर्भ में, वहां लागू होंगी, जहां अनुसूचियों का लागू होना विनिर्दिष्ट है अन्यथा नहीं ।

व्यावृत्ति ।

57. (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य बिजली बोर्ड से भिन्न प्राधिकरण तथा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 अथवा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां तथा कृत्य अप्रभावित रहेंगे तथा लागू बने रहेंगे।

(2) इस अधिनियम में दी गई कोई बात ग्रिड निगम, बी० बी० एम० बी० या अन्य निकायों या विद्युत के अन्तर्राज्यिक प्रसारण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित उत्पादक कंपनियों या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन उपक्रम को लागू नहीं होगी।

अनुसूची

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

भाग I

आयोग के वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वार्षिक वित्तीय विवरण ।

I. (1) प्रत्येक वर्ष (दिसम्बर में) आयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमानित खर्च का विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार यथासंभव शीघ्र उक्त विवरण की प्राप्ति के बाद राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखवाएगी ।

(3) आयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसके संबंध में उप-पैरा (1) के अधीन विवरण प्रस्तुत किया गया है, अनुपूरक विवरण सरकार को प्रस्तुत करेगा, और इस धारा के सभी उपबंध ऐसे विवरण को लागू होंगे जैसे कि वे उक्त उपधारा के अधीन विवरण को लागू होते हैं।

लेखे तथा लेखा परीक्षा ।

II. (1) आयोग उसके संबंध में रखे जाने के लिए उचित लेखे तथा अन्य अभिलेख रखेगा, जिसमें आन्तरिक जांच की उचित प्रणाली भी शामिल है तथा लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररुप में रखेगा, जो महालेखाकार हरियाणा के साथ परामर्श से आयोग द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) आयोग के लेखे महालेखाकार, हरियाणा द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे जो इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए और ऐसे लेखा परीक्षण के संबंध में उस द्वारा किए गए कोई खर्च राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य होंगे।

(3) महालेखाकार, हरियाणा या आयोग द्वारा लेखों की परीक्षा के संबंध में उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को आयोग की पुस्तकों लेखों, संबंधित वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों तथा पेपरों को पेश करने के लिए मांगने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार, हरियाणा या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग का लेखा उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित उस वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर जिससे लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित है, राज्य सरकार को भेजे जाएंगे तथा आयोग, आयोग के उक्त लेखों को प्रकाशित कराएगा और उसकी प्रति युक्तियुक्त मुल्य पर विक्रय पर उपलब्ध कराएगा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आयोग के लेखों में से किन्हीं असंगतियों तथा अनियमितताओं के पूरे ब्यौरे दिए होंगे। उसी समय आयोग इस अधिनियम के अधीन उस वर्ष के दौरान जिससे उक्त लेखा संबंधित है, इसके द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कृत्यों के संबंध में इसके क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कराएगा तथा उसकी प्रति युक्तियुक्त मूल्य पर विक्रय पर उपलब्ध कराएगा।

(5) राज्य सरकार, आयोग के लेखे उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित उप-पैरा (4) के अधीन राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए प्रति वर्ष भेजेगी।

भाग II

सामान्य

III. (1) आयोग के खर्चे के बारे में, अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसा पारिश्रमिक तथा ऐसा यात्रा भत्ता तथा अन्य खर्चों तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो सरकार विनिश्चित करे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए विनिश्चित पारिश्रमिक किसी भी समय हरियाणा लोक सेवा आयोग के क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक से निम्न नहीं होगा। पारिश्रमिक आदि।

(2) राज्य सरकार, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, आयोग के खर्चों के बारे में या के संबंध में ऐसी पेंशन, भत्ता या उपदान या ऐसे अशंदान या भुगतान ऐसी पेंशन भत्ता या उपदान के उपबंधों की ओर भुगतान करावाएगी

IV. आयोग के पास इसके कृत्यों के प्रयोजन के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ों के अधि-प्रमान के लिए एक कार्यालय मोहर होगी। कार्यालय मोहर।

V. इस अधिनियम या आयोग द्वारा की जाने वाली किसी अन्य अधिनियमित द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित कोई बात आयोग के अमले के किसी ऐसे अन्य सदस्य द्वारा की जा सकती है जो आयोग द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाता है। कृत्यों का पालन करना

बी० एल० गुलाटी,

सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग